

परिशिष्ट 2.1.1

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य क्रियाकलापों का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.1)

क्र. सं.	क्रियाकलापों का विवरण
1.	सभी स्तरों पर सूक्ष्म नियोजन हेतु प्रारंभिक क्रियाकलाप, हाउसहोल्ड सर्वेक्षण, अध्ययन, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय-आधारित गतिविधियाँ, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण आदि।
2.	शिक्षकों की नियुक्ति।
3.	नए प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालयीय शिक्षा की सुविधा जैसे शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवम अभिनव शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
4.	नए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
5.	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, विद्यालयों एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण।
6.	विद्यालयीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत।
7.	सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान।
8.	विद्यालय यूनिफार्म का प्रावधान।
9.	प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों का नियमित विद्यालय के रूप में उच्चीकरण या नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण का प्रावधान।
10.	उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पठन-पाठन उपकरण।
11.	विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान।
12.	विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों हेतु क्रियाकलाप।
13.	बालिकाओं की शिक्षा, शिशुकाल की देखभाल और शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के लिये अभिनव क्रियाकलाप।
14.	उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कम्प्यूटर शिक्षा।
15.	विद्यालय अनुदान।
16.	शिक्षक अनुदान।
17.	प्रबंधन लागत।
18.	शिक्षक प्रशिक्षण।
19.	समुदाय के अग्रणी लोगों का प्रशिक्षण।
20.	ब्लॉक संसाधन केन्द्रों/समूह संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
21.	अनुसंधान, मूल्यांकन, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण।
22.	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

परिशिष्ट 2.1.2

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के पूर्ण होने की समयसीमा (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.1)

क्रियाकलाप	समय सीमा
पड़ोस के विद्यालय की स्थापना	3 वर्ष (31 मार्च 2013)
विद्यालय अवसरचना, सर्वत्रुतु विद्यालय भवन, एक कक्षा कक्ष-एक शिक्षक, कार्यालय सह-भण्डार सह-प्रधान अध्यापक कक्ष, शौचालय एवम पेयजल, बाधारहित प्रवेश, पुस्तकालय, खेल का मैदान, बाड़ा/बाउंड्रीवाल	3 वर्ष (31 मार्च 2013)
निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों का प्रावधान	3 वर्ष (31 मार्च 2013)
अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	5 वर्ष (31 मार्च 2015)
सभी गुणवत्ता क्रियाविधियाँ एवम अन्य प्रावधान	तत्काल प्रभाव से

(स्रोत: शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क)

परिशिष्ट 2.1.3

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.4)

क्र. सं.	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु प्रयुक्त मापदण्ड
1.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
2.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011, उत्तर प्रदेश
3.	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
4.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा का नियोजन और कार्यान्वयन मैनुअल।
5.	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर आधारित रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क (संशोधित फ्रेमवर्क 2011)
6.	वित्तीय प्रबंधन और अधिप्राप्ति पर सर्व शिक्षा अभियान का मैनुअल।
7.	परियोजना अनुमोदन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना।
8.	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत, चुनाव हेतु शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में धारा-35 (1) के अधीन दिशा निर्देश।
9.	अधिनियम की धारा 25(1) के कार्यान्वयन के संबंध में धारा 35(1) के दिशानिर्देश।
10.	बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश।
11.	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के कार्यान्वयन पर सलाह।
12.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35(1) के अंतर्गत विद्यालयों में शारीरिक दंड के उन्मूलन पर निर्देश।
13.	शिक्षा का अधिकार नियमावली/दिशानिर्देश/मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति।
14.	उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठकों का एजेंडा/कार्यवृत्त।
15.	उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कार्यान्वयन हेतु निर्गत आदेश एवं निर्देश।
16.	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली।
17.	सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन प्रतिवेदन।
18.	राज्य वित्तीय नियम।

परिशिष्ट 2.1.4

गोरखपुर, कानपुर देहात, पीलीभीत, रामपुर एवं सोनभद्र जनपदों के नमूना चयनित विद्यालयों में जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.6.2)

विवरण	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार	लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली से भिन्नता (प्रतिशत में)
नामांकित बच्चों की संख्या	17,729	15,999	10
तैनात शिक्षकों की संख्या	494	539	-9
उपलब्ध चहारदीवारी की संख्या	92	87	5
उपलब्ध शौचालयों की संख्या	131	130	1
बालक एवं बालिकाओं हेतु अलग-अलग शौचालयों की संख्या	129	115	11
उपयोग हो रहे शौचालयों की संख्या	131	117	11
विद्यालयों में पेयजल सुविधा की उपलब्धता	122	123	-1
विद्यालयों ¹ में खेल के मैदान की उपलब्धता	90	87	3
वायरिंग/विद्युत संयोजन की उपलब्धता	67	60	10
रसोईघर-सह-भण्डार की उपलब्धता	69	71	-3
नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या	68	51	25
पुस्तकालय की उपलब्धता	98	50	49
उपलब्ध कक्षाकक्षों की संख्या	668	601	10
क्या विद्यालय प्रबन्ध समिति के संयुक्त खातों का संचालन किया गया	84	81	4

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़े एवं विद्यालयों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण)

परिशिष्ट 2.1.5

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, कार्ययोजना एवं विद्यालयों की संख्या के दो समूहों के आँकड़ों में भिन्नता का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.6.2)

वर्ष	विद्यालयों की संख्या के सन्दर्भ में			नामांकन के सन्दर्भ में		
	कार्ययोजना के अनुसार	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार	अन्तर	हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के अनुसार	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार	अन्तर
2010-11	1,59,443	2,01,475	-42,032	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2011-12	2,18,854	2,21,653	-2,799	3,87,23,343	3,54,04,745	33,18,598
2012-13	2,28,488	2,39,817	-11,329	3,92,75,777	3,70,98,290	21,77,487
2013-14	2,34,021	2,40,332	-6,311	3,85,78,870	3,67,26,500	18,52,370
2014-15	2,46,867	2,43,014	3,853	3,79,76,795	3,68,38,720	11,38,075
2015-16	2,46,013	2,45,919	94	3,82,16,571	3,64,25,633	17,90,938

(स्रोत: एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, कार्ययोजना एवं हाउसहोल्ड सर्वेक्षण)

¹ सोनभद्र एवं गोरखपुर जनपदों के नमूना चयनित विद्यालयों में यह पाया कि प्रत्येक जनपद में 10-10 खेल के मैदान थे जबकि जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार इन जनपदों में क्रमशः 18 एवं 2 खेल के मैदान थे।

परिशिष्ट 2.1.6

उपभोग प्रमाणपत्रों एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रतिवेदित व्यय के आंकड़ों में अन्तर का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार वास्तविक व्यय	उपभोग प्रमाणपत्र में प्रदर्शित व्यय	अन्तर
	(अ)	(ब)	(ब - अ)
2010-11	4,888.63	5,202.08	313.45
2011-12	5,151.51	5,482.35	330.84
2012-13	6,871.21	7,181.45	310.24
2013-14	8,697.04	8,830.97	133.93
2014-15	7,642.84	8,020.00	377.16
2015-16	12,545.82	12,686.39	140.57
योग	45,797.05	47,403.24	1,606.19

(स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं उपभोग प्रमाणपत्र)

परिशिष्ट 2.1.7

सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सम्बन्धी मार्गस्थ निधियों की वर्षवार स्थिति

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.3)

वर्ष	राज्य परियोजना कार्यालय से जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाइयों को		जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाइयों से राज्य परियोजना कार्यालय को	
	मदों की संख्या	धनराशियाँ (₹ में)	मदों की संख्या	धनराशियाँ (₹ में)
2002-03	2	15,37,800.00		
2003-04	7	53,50,440.00		
2004-05	5	21,58,970.00		
2005-06	2	11,74,650.00		
2006-07	3	4,06,380.00		
2007-08	8	56,06,317.00		
2008-09	2	16,37,800.00		
2009-10	1	1,00,000.00		
2010-11	1	1,90,000.00		
5 वर्ष की अधिक अवधि से असमाशोधित (अ)		1,81,62,357.00		
2011-12	2	23,400.00		
2012-13	16	2,77,63,239.00	10	16,71,918.00
2013-14	13	13,16,75,930.00	6	7,53,75,459.00
2014-15	0	0	0	0
2015-16	7	1,18,210,333.00	2	2,51,500.00
उप योग (ब)	69	27,76,72,902.00	18	7,72,98,877.00
समाशोधन के अन्तर्गत मार्गस्थ धनराशि (स)		30,18,707.35		1,42,41,187.49
योग (अ + ब+ स)		29,88,53,966.35(द)		9,15,40,064.49(य)
सकल योग (द + य)				39,03,94,030.84 अर्थात् ₹ 39.03 करोड़

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय का वार्षिक वित्तीय विवरण)

परिशिष्ट 2.1.8

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कई बैंक खातों के संचालन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.3)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	घटक, जिससे सम्बन्धित है	एकल / संयुक्त संचालन	खाता खोलने की तिथि	अन्तिम लेनदेन की तिथि	31.03.2016 को अवशेष (₹ में)
1	बैंक ऑफ बड़ौदा, नरही शाखा	08700100018403	पूँजीगत	संयुक्त	09.10.2014	31.03.2016	6,81,87,653
2	बैंक ऑफ बड़ौदा, नरही शाखा	08700100016693	सामान्य	संयुक्त	13.03.2014	31.03.2016	39,54,27,156
3	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101028088	बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	संयुक्त	22.07.2005	31.03.2016	1,36,09,250
4	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101556543	पूँजीगत	संयुक्त	20.04.2011	31.03.2016	36,04,28,500
5	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101027801	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	संयुक्त	09.02.2005	29.02.2016	1,19,77,055
6	केनरा बैंक, हजरतगंज	0363101022825	सामान्य	संयुक्त	02.02.1999	31.03.2016	3,56,72,31,409
7	इलाहाबाद बैंक	50257868143	सामान्य	संयुक्त	08.01.2015	31.03.2016	12,94,90,841
उप-योग							4,54,63,51,864 अर्थात् ₹ 454.64 करोड़
8	बैंक ऑफ बड़ौदा, नरही शाखा	08700100016851	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	संयुक्त	14.07.2014	31.12.2015	5,41,915
9	इंडियन ओवरसीज बैंक, मुख्य शाखा, लखनऊ	020701000049052	सामान्य	संयुक्त	19.02.2001	28.02.2016	2,02,056
10	इंडियन ओवरसीज बैंक, राजभवन, लखनऊ	192201000010001	सामान्य	संयुक्त	12.12.2012	28.02.2016	4,22,933
उप-योग							11,66,904 अर्थात् ₹ 0.11 करोड़
सकल योग							45,47,518,768 अर्थात् ₹ 454.75 करोड़

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट)

परिशिष्ट 2.1.9

विद्यालय भवन के निर्माण हेतु प्राप्त निधियों के संदिग्ध दुर्विनियोजन का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.7.3)

विकास खण्ड	विद्यालय	वर्ष	निधियों का उपभोग (₹ लाख में)	आहरित निधियाँ (₹ लाख में)	स्थिति
निधियाँ आहरित की गयीं परन्तु निर्माण नहीं हुआ					
सुलतानपुर					
कूड़ेभार	उच्च प्राथमिक विद्यालय अरवल कीरी करवत	2011-12	9.01	45.10	विद्यालयों का निर्माण नहीं हुआ।
धनपतगंज	उच्च प्राथमिक विद्यालय धर्मदासपुर	2011-12	9.01		
दोस्तपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय माधवपुर	2011-12	9.01		
	प्राथमिक विद्यालय कटात पुरुषोत्तम	2008-09	4.53		
जयसिंहपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय कटात गुडबड़	2011-12	9.01		
कादीपुर	प्राथमिक विद्यालय हुसुनपुर	2008-09	4.53		
योग (अ)			45.10	45.10	
सोनभद्र					
नगवों	उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेपुर	2008-09	₹ 5.40 लाख आहरित	5.40	अज्ञात व्यक्ति द्वारा निधियाँ आहरित किए जाने से विद्यालय निर्माण नहीं हुआ
योग (ब)				5.40	
योग (अ + ब)				50.50	
महाराजगंज					
मिठौरा	प्राथमिक विद्यालय परशाचक गोबरही	2012-13	2.01	2.01	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण नहीं हुआ।
निधियाँ आहरित की गयीं परन्तु विद्यालयों का आंशिक निर्माण हुआ					
सोनभद्र					
म्योरपुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलहत्थी	2003-04	एक अध्यापक, जिसकी नियुक्ति फर्जी थी, को	2.05	8 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय खाडपाथर	2003-04	इन कार्यों का निर्माण प्रभारी बनाया गया और उसने ₹ 4.22 लाख का गबन किया।	2.34	1 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
चतरा	उच्च प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर	2003-04		2.73	6 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरनखुरी	2003-04		1.32	1 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
नगवों	प्राथमिक विद्यालय बरवाटोला	2003-04	एक दूसरे अध्यापक को, जिसकी नियुक्ति फर्जी थी, इन कार्यों का निर्माण प्रभारी बनाया गया और उसने ₹ 10.81 लाख का गबन किया।	2.41	7 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजनाथ	2003-04		2.80	8 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय मारकुण्डी	2003-04		2.80	6 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
	उच्च प्राथमिक विद्यालय चेरवी	2003-04		2.80	6 फीट दीवार का निर्माण हुआ।
योग				19.25	

(स्रोत: जिला परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.10

जनपद सुलतानपुर में संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए
अर्द्धनिर्मित भवन एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.1)

विकास खण्ड	विद्यालय	वर्ष	आहरित धनराशि (₹ लाख में)	स्थिति
लम्हुआ	उच्च प्राथमिक विद्यालय धरियामाऊ	2008-09	5.15	नींव स्तर तक निर्मित
	प्राथमिक विद्यालय खरभुजही	2012-13	3.00	अपूर्ण
	प्राथमिक विद्यालय सुलतानपुर	2011-12	3.83	अर्द्धनिर्मित
योग			11.98	

(स्रोत: विद्यालयों का संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट 2.1.11

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के कम नामांकन का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	हाउस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार चिन्हित			जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार नामांकन			बच्चे जो आच्छादित नहीं किये गए		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2011-12	79,36,278	71,68,979	1,51,05,257	45,72,356	46,43,586	92,15,942	33,63,922	25,25,393	58,89,315
2012-13	79,50,677	72,12,126	1,51,62,803	51,51,707	52,75,380	1,04,27,087	27,98,970	19,36,746	47,35,716
2013-14	77,44,328	70,14,092	1,47,58,420	53,82,427	54,02,487	1,07,84,914	23,61,901	16,11,605	39,73,506
2014-15	75,61,053	68,13,253	1,43,74,306	55,17,106	55,14,685	1,10,31,791	20,43,947	12,98,568	33,42,515
2015-16	75,19,497	67,71,943	1,42,91,440	55,94,629	55,60,656	1,11,55,285	19,24,868	12,11,287	31,36,155
योग			7,36,92,226			5,26,15,019			2,10,77,207

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत हाउस होल्ड सर्वेक्षण के आंकड़े एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.12

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अधिक नामांकन का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	हाउस होल्ड सर्वेक्षण के अनुसार चिन्हित			जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार नामांकन			चिन्हित बच्चों की तुलना में अधिक नामांकन
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2011-12	1,26,09,144	1,11,17,317	2,37,26,461	1,34,30,576	1,27,58,227	2,61,88,803	24,62,342
2012-13	1,28,24,059	1,13,53,355	2,41,77,414	1,36,58,006	1,30,13,197	2,66,71,203	24,93,789
2013-14	1,26,86,162	1,12,12,387	2,38,98,549	1,33,36,608	1,26,04,978	2,59,41,586	20,43,037
2014-15	1,24,89,281	1,11,53,713	2,36,42,994	1,32,19,384	1,25,87,545	2,58,06,929	21,63,935
2015-16	1,22,97,660	1,10,41,282	2,33,38,942	1,29,35,607	1,23,34,741	2,52,70,348	19,31,406
योग			11,87,84,360			12,98,78,869	1,10,94,509

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत हाउस होल्ड सर्वेक्षण के आंकड़े एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.13

नमूना चयनित जनपदों में बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

अवधि	जनपद	चिन्हांकन		नामांकन		अन्तर	
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2011-16	बहराइच	22,61,040	13,88,994	23,17,159	7,24,910	-56,119	6,64,084
2011-16	फर्रुखाबाद	11,27,653	6,87,649	13,03,207	5,54,418	-1,75,554	1,33,231
2011-16	फिरोजाबाद	12,25,217	7,99,292	15,14,736	5,98,607	-2,89,519	2,00,685
2011-16	गाजियाबाद	16,21,399	9,13,605	17,05,644	6,70,037	-84,245	2,43,568
2011-16	गाजीपुर	24,91,384	15,09,649	28,02,166	12,59,500	-3,10,782	2,50,149
2011-16	गोरखपुर	26,69,326	15,48,379	23,53,913	10,26,810	3,15,413	5,21,569
2011-16	झाँसी	10,84,129	6,51,063	11,63,754	5,99,924	-79,625	51,139
2011-16	कानपुर देहात	8,90,882	6,18,898	7,85,493	3,83,345	1,05,389	2,35,553
2011-16	लखीमपुर खीरी	25,92,328	16,07,018	26,76,391	10,16,112	-84,083	5,90,906
2011-16	महाराजगंज	19,16,338	10,81,433	18,46,281	6,35,855	70,057	4,45,578
2011-16	मऊ	13,07,799	7,48,021	13,83,277	6,43,752	-75,478	1,04,269
2011-16	पीलीभीत	11,22,117	7,50,264	12,11,032	5,62,562	-88,915	1,87,702
2011-16	रामपुर	13,47,198	8,31,509	20,53,822	5,10,400	-7,06,624	3,21,109
2011-16	सोनभद्र	11,06,530	6,81,752	13,06,205	5,52,801	-1,99,675	1,28,951
2011-16	सुलतानपुर	14,44,129	9,37,037	15,46,946	7,52,456	-1,02,817	1,84,581
2011-16	उन्नाव	16,86,585	10,68,563	18,21,409	6,24,063	-1,34,824	4,44,500
	योग	2,58,94,054	1,58,23,126	2,77,91,435	1,11,15,552		

(स्रोत: राज्य कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रस्तुत हॉउस होल्ड सर्वेक्षण के आंकड़े एवं जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.14
बच्चों के विद्यालय से बाहर रहने के कारणों का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	वर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
		कुल बालक	कुल बालिकायें								
1	घरेलू कार्य में संलिप्तता	20,397	22,380	12,012	12,748	13,150	12,463	5,896	5,833	3,195	3,065
2	कूड़ा बीनना	819	761	637	460	555	373	494	344	275	184
3	घरेलू सहायता	576	730	656	662	462	323	267	140	114	138
4	खदानों/ईट भट्टों पर कार्यरत	1,427	1,008	653	306	995	657	476	342	345	222
5	कारखानों/गैराज पर कार्यरत	844	110	554	56	501	99	311	108	234	71
6	कृषि	3,122	1,264	1,907	786	1,233	451	982	243	458	185
7	पारम्परिक शिल्प	1,258	865	988	776	641	447	676	641	358	249
8	छोटे होटल/ढाबों पर कार्यरत	696	313	434	321	328	393	293	175	171	98
9	छोटे भाई बहनों की देखभाल	6,646	9,674	3,276	5,549	3,675	6,050	2,051	2,825	1,128	1,510
10	विद्यालय से दूरी	2,370	2,685	1,037	1,259	1,353	1,336	1,273	1,111	700	721
11	कक्षा कक्ष में अधिक बच्चे	74	57	41	113	32	30	45	175	2	16
12	अध्यापकों का अनुचित व्यवहार	80	54	34	36	23	19	19	42	4	8
13	अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण सीखने में कठिनाई	1,148	849	419	344	464	274	419	250	293	251
14	बिना कारण	149	241	94	139	117	110	43	48	13	9
15	घुमंतू परिवार	1,472	1,297	813	672	704	590	733	606	430	300
16	गरीबी	3,288	2,097	1,951	1,215	2,178	1,677	1,476	957	868	570
17	गंभीर विकलांगता	0	0	0	0	0	0	1,842	1,297	2,377	1,317
18	अन्य	12,360	8,566	8,301	5,193	14,920	11,476	4,941	3,131	2,396	1,636
योग		56,726	52,951	33,807	30,635	41,331	36,768	22,237	18,268	13,361	10,550

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया हॉउस होल्ड सर्वेक्षण)

परिशिष्ट 2.1.15

वर्ष 2011-16 की अवधि में विद्यालय न जाने वाले चिन्हित एवं नामांकित बच्चों का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	विद्यालय न जाने वाले चिन्हित बच्चे	विद्यालय न जाने वाले आच्छादित बच्चे	आच्छादन का प्रतिशत
2011-12	1,09,677	1,07,888	98.37
2012-13	64,442	64,202	99.63
2013-14	78,099	77,756	99.56
2014-15	40,505	40,491	99.96
2015-16	23,911	उपलब्ध नहीं	-
योग	3,16,634	2,90,337	

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.16

वर्ष 2010-16 की अवधि में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के नामांकन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2010-11	10,39,047	2,01,800	12,40,847
2011-12	10,41,405	9,08,575	19,49,980
2012-13	11,64,764	3,08,600	14,73,364
2013-14	11,64,212	3,88,383	15,52,595
2014-15	11,11,990	3,57,015	14,69,005
2015-16	10,75,229	3,55,924	14,31,153

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2016-17)

परिशिष्ट 2.1.17

निजी और सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि/गिरावट का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन			निजी/बिना शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन		
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
2010-11	1,54,30,350	42,59,229	1,96,89,579	85,34,809	37,02,551	1,22,37,360
2011-12	1,50,49,324	44,94,100	1,95,43,424	1,08,82,447	46,58,110	1,55,40,557
2012-13	14,159,320	44,60,533	1,86,19,853	1,19,37,930	58,64,099	1,78,02,029
2013-14	1,35,23,506	41,88,647	1,77,12,153	1,16,94,774	63,65,946	1,80,60,720
2014-15	1,30,70,057	40,26,868	1,70,96,925	1,19,92,756	68,47,725	1,88,40,481
2015-16	1,27,44,955	38,57,774	1,66,02,729	1,13,49,123	53,57,716	1,67,06,839
	नामांकन में गिरावट (%)			नामांकन में वृद्धि (%)		
	18.59			36.52		

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.18
वर्ष 2010-16 की अवधि में उपस्थिति हेतु लक्ष्य और
उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	लक्ष्य (प्रतिशत)		प्राप्ति (प्रतिशत)	
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2010-11	95	95	90	91
2011-12	95	95	91	90
2012-13	75	75	62	54
2013-14	95	95	63	60
2014-15	70	85	61	64 ²
2015-16	80	85	68	72

(स्रोत: वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (2010-15) एवं निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (2015-16))

परिशिष्ट 2.1.19
2010-11 के दौरान त्रुटिपूर्ण एवं अधोमानक कागज़ प्रयुक्त करने वाले
उन प्रकाशकों के नामों का विवरण जिनके साथ 2015-16 के दौरान
अनुबंध किया गया
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	प्रकाशकों के नाम	प्रकाशकों के नाम
	2010-11	2015-16
1.	मे0 मुद्रण महल, आगरा	मे0 मुद्रण महल, आगरा
2.	मे0 सिंघल एजेंसी, लखनऊ	मे0 सिंघल एजेंसी, लखनऊ
3.	मे0 महेश पुस्तकालय, मथुरा	मे0 महेश पुस्तकालय, मथुरा
4.	मे0 नेशनल प्रिंटर, रांची	मे0 नेशनल प्रिंटर, रांची
5.	मे0 रामराजा प्रिंटेर्स एवं पब्लिशर्स, झाँसी	मे0 रामराजा प्रिंटेर्स एवं पब्लिशर्स, झाँसी
6.	मे0 सरस्वती प्रेस, मथुरा	मे0 सरस्वती प्रेस, मथुरा
7.	मे0 प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	मे0 प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा
8.	मे0 भागवत प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा	मे0 भगवती प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा
9.	मे0 रावत प्रकाशन मंदिर, हाथरस	मे0 रावत प्रकाशन मंदिर, हाथरस
10.	मे0 उपकार प्रिंटेर्स एण्ड पब्लिशर्स, आगरा	मे0 उपकार प्रिंटेर्स एण्ड पब्लिशर्स, आगरा
11.	मे0 वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी	मे0 वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी
12.	मे0 काजमी एसोसिएट्स, इलाहाबाद	मे0 काजमी एसोसिएट्स, इलाहाबाद
13.	मे0 पायनियर प्रिंटेर्स, आगरा	मे0 पायनियर प्रिंटेर्स, आगरा
14.	मे0 शील प्रिंटेर्स, मथुरा	मे0 शील प्रिंटेर्स, मथुरा

(स्रोत: निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

² 2014-15 के दौरान निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 60 और 61 प्रतिशत उपस्थिति सूचित की गयी।

परिशिष्ट 2.1.20

वर्ष 2012-16 के दौरान अधिक पाठ्य पुस्तकों के क्रय का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

(₹ में)

जनपद का नाम	नामांकित बच्चों की संख्या	आवश्यक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या	क्रय की गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या	अधिक क्रय की गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या	पुस्तकों की कुल लागत	एक पुस्तक का औसत मूल्य {(6)/(4)}	अधिक पुस्तकों का कुल मूल्य {(5)*(7)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
महाराजगंज	12,15,525	74,23,281	83,60,376	9,37,095	9,21,31,662	11.02	1,03,26,787
फिरोजाबाद	8,38,285	52,38,037	62,33,866	9,95,829	7,28,77,156	11.69	1,16,41,241
गाजीपुर	15,17,174	96,46,156	1,04,11,095	7,64,939	12,81,34,165	12.31	94,16,399
सोनभद्र	10,51,638	64,24,066	71,94,699	7,70,633	10,17,37,557	14.14	1,08,96,751
महायोग				34,68,496			4,22,81,178
				अर्थात् ₹ 34.68 लाख			अर्थात् ₹ 4.23 करोड़

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.21
नमूना चयनित जनपदों में पुस्तकों के परिवहन का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

जनपद का नाम	पुस्तकों की दुलाई के लिए अपनाई गई प्रक्रिया	2011-16 के दौरान परिवहन पर व्यय (रूपये में)	न्यूनतम और अधिकतम व्यय (रूपये में)	वर्ष 2011-16 की अवधि में अधिकतम व्यय में प्रतिशत वृद्धि, किसी भी वर्ष में सबसे कम की तुलना में	पुस्तकों की अधिप्राप्ति में गिरावट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहराइच	वर्ष 2011-12 के दौरान पहले के वर्षों में अनुमोदित दर के आधार पर; वर्ष 2012-13 के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर के आधार पर; उसके बाद निविदा प्रक्रिया के आधार पर।	2011-12: 99,000 2012-13: 2,19,700 2013-14: 21,05,890 2014-15: 13,08,450 ³ 2015-16: 10,50,000	न्यूनतम (2011-12): ₹ 99,000 अधिकतम (2013-14): ₹ 21,05,890	वर्ष 2011-12 में व्यय की गयी ₹ 0.99 लाख की धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में पुस्तकों के जनपद से विकास खण्ड एवं विकास खण्ड से विद्यालय तक परिवहन पर कुल ₹ 21.06 लाख की धनराशि व्यय की गयी। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान व्यय की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 2027 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 30,86,208 2012-13: 33,25,435 2013-14: 32,24,393 2014-15: 33,19,660 2015-16: 33,52,892 प्रतिशत बढ़ोत्तरी (2011-14): 6.72
फर्रुखाबाद	2011-13: निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के क्रय की अवशेष धनराशि के माध्यम से भुगतान। 2013-15: निविदा प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान। 2015-16: जिला अधिकारी ने परिवहन विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए निर्देश दिया।	2011-12: 2,30,550 2012-13: 1,97,892 2013-14: 4,36,312 2014-15: 4,62,502 2015-16: 1,33,436	न्यूनतम (2015-16): ₹ 1,33,436; अधिकतम (2014-15): ₹ 4,62,502	वर्ष 2014-15 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय ⁴ वर्ष 2015-16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किये गये व्यय का 246 प्रतिशत था।	2011-12: 18,44,416 2012-13: 14,54,029 2013-14: 14,00,626 2014-15: 14,46,994 2015-16: 13,40,126 प्रतिशत गिरावट (2014-16) : 7.38
फिरोजाबाद	वर्ष 2011-12 के दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ शिक्षकों के सहयोग से पुस्तकों को विद्यालयों तक पहुँचाया गया। वर्ष 2012-13 की अवधि में जिलाधिकारी द्वारा वाहनों की अनुमोदित किराया दर पर पुस्तकों को न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों तक पहुँचाया गया। वर्ष 2013-16 के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर पर वाहनों को किराये पर लेकर पुस्तकों को विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया।	2011-12: शून्य 2012-13: 1,55,384 2013-14: 5,13,216 2014-15: 6,13,605 2015-16: 5,98,520	न्यूनतम (2012-13): ₹ 1,55,384 अधिकतम (2014-15): ₹ 6,13,605	वर्ष 2014-15 में पुस्तकों के परिवहन पर वर्ष 2012-13 की तुलना में 294 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 16,35,013 2012-13: 16,13,208 2013-14: 18,77,640 2014-15: 13,52,675 2015-16: 13,90,343 प्रतिशत गिरावट (2012-15): 16.15

³ वर्ष 2014-15 में ₹ 15.30 लाख के देयक के सापेक्ष ₹ 13.08 लाख का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा, जो पुस्तकों के मूल्य की 4 प्रतिशत थी, के सापेक्ष जनपद द्वारा वर्ष 2015-16 में ₹ 1.75 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया।

⁴ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पुस्तकों के परिवहन पर व्यय की निर्धारित अधिकतम सीमा, जो पुस्तकों के मूल्य की 4 प्रतिशत थी, के कारण वर्ष 2015-16 में पुस्तकों के परिवहन पर व्यय घटा।

गाजीपुर	2011-13: पुस्तकों के परिवहन का कार्य ब्लॉक संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों से किया गया। 2013-14: खुली निविदा के माध्यम से, परन्तु किसी ने भी निविदा में भाग नहीं लिया। इसलिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, चुनाव 2012 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर पुस्तकों के परिवहन का निर्णय लिया गया।	2011-12: शून्य 2012-13: शून्य 2013-14: 4,11,034 2014-15: 8,04,151 2015-16: 8,50,116	न्यूनतम (2013-14): ₹ 4,11,034 अधिकतम (2015-16): ₹ 8,50,116;	वर्ष 2015-16 के दौरान पुस्तकों की परिवहन लागत वर्ष 2013-14 के दौरान किये गये व्यय की तुलना में 107 प्रतिशत अधिक थी।	2011-12: 32,54,364 2012-13: 29,03,167 2013-14: 27,20,689 2014-15: 25,28,984 2015-16: 22,58,255 प्रतिशत गिरावट: (2013-16): 17
गाजियाबाद	सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।				
गोरखपुर	निविदा प्रक्रिया अपनाये बिना दैनिक किराये एवं ईंधन की खपत के आधार पर।	2011-12: 2,31,585 2012-13: 2,26,384 2013-14: 2,52,575 2014-15: 40,94,52 2015-16: 7,72,000	न्यूनतम (2012-13): ₹ 2,26,384 अधिकतम (2015-16): ₹ 7,72,000.	वर्ष 2015-16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय वर्ष 2012-13 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में 241 प्रतिशत अधिक थी।	2011-12: 30,93,472 2012-13: 25,29,373 2013-14: 38,53,884 2014-15: 30,75,809 2015-16: 22,98,657 प्रतिशत गिरावट (2012-16): 9.12
झाँसी	जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा न तो निविदा आमंत्रित की गयी और न ही परिवहन दर का अनुमोदन किया गया। इसके स्थान पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से प्राप्त दर के आधार पर विभिन्न एजेंसियों को कार्यादेश दिये गये।	2011-12: 1,94,904 2012-13: 1,75,310 2013-14: 1,37,340 2014-15: 2,13,260 2015-16: 3,48,630	न्यूनतम (2013-14): ₹ 1,37,340; अधिकतम (2015-16): ₹ 3,48,630	वर्ष 2015-16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय वर्ष 2013-14 के दौरान किये गये व्यय की तुलना में 154 प्रतिशत अधिक थी।	2011-12: 16,48,089 2012-13: 13,86,945 2013-14: 14,89,707 2014-15: 13,58,996 2015-16: 12,58,869 प्रतिशत गिरावट (2013-16): 15.50
कानपुर देहात	2011-12: विद्यालय विकास निधि एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की अवशेष धनराशि के माध्यम से भुगतान 2012-14: निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के क्रय की अवशेष धनराशि के माध्यम से भुगतान। 2014-15: खुली निविदा के माध्यम से जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर पर। 2015-16: चुनाव-2014 के आधार पर, परिवहन विभाग/जिला अधिकारी की अनुमोदित दर पर	2011-12: शून्य 2012-13: शून्य 2013-14: 1,62,000 2014-15: 8,79,765 2015-16: 1,37,397	न्यूनतम (2015-16): ₹ 1,37,397; अधिकतम (2014-15): ₹ 8,79,765	वर्ष 2014-15 की अवधि में पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय वर्ष 2015-16 में किये गये व्यय का 540 प्रतिशत था।	2011-12: 14,30,725 2012-13: 11,78,310 2013-14: 15,01,123 2014-15: 11,96,238 2015-16: 11,31,104 प्रतिशत गिरावट (2014-16): 5.44
लखीमपुर खीरी	2011-12: ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के कर्मचारियों के माध्यम से। 2012-14: चुनाव 2012 के लिए अनुमोदित दर पर परिवहन किया गया; निःशुल्क पाठ्यपुस्तक क्रय	2011-12: शून्य 2012-13: 3,91,130 2013-14: 6,94,620	न्यूनतम (2012-13): ₹ 3,91,130; अधिकतम	वर्ष 2012-13 में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2013-14 में पुस्तकों के परिवहन व्यय में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 33,25,779 2012-13: 32,35,971 2013-14: 31,55,426

⁵ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पुस्तकों के परिवहन की निर्धारित अधिकतम सीमा, जो पुस्तकों के मूल्य की 4 प्रतिशत थी, के कारण वर्ष 2015-16 में पुस्तकों के परिवहन पर व्यय घटा।

	की अवशेष धनराशि से भुगतान किया गया। 2014-16: ब्लॉक संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों के माध्यम से।	2014-15: शून्य 2015-16: शून्य ⁶	(2013-14): ₹ 6,94,620		2014-15: 29,05,794 2015-16: 29,37,081 प्रतिशत गिरावट (2012-14): 2.49
महराजगंज	वर्ष 2011-12 के मध्य पुस्तकों का परिवहन ब्लॉक संसाधन केन्द्रों द्वारा किया गया था। जिला परियोजना अधिकारी द्वारा परिवहन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। दूसरे वर्षों में पुस्तकों का परिवहन कोटेशन/निविदा के माध्यम से किया गया।	2011-12: शून्य 2012-13: 33,252 2013-14: 1,54,050 2014- 15:36,000 2015-16: 2,44,915	न्यूनतम (2014-15): ₹ 36,000; अधिकतम (2015-16): ₹ 2,44,915	वर्ष 2014-15 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2015-16 में पुस्तकों के परिवहन व्यय में 636 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 23,23,383 2012-13: 19,99,236 2013-14: 21,16,676 2014-15: 21,04,069 2015-16: 20,40,398 प्रतिशत गिरावट (2014-16) : 3.03
मऊ	निविदा प्रक्रिया	2011-12: 1,14,410 2012-13: 1,48,643 2013-14: 1,54,099 2014- 15:2,00,000 2015-16: 2,12,948	न्यूनतम (2011-12): ₹ 1,14,410; अधिकतम (2015-16): ₹ 2,12,948	वर्ष 2011-12 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2015-16 में पुस्तकों के परिवहन व्यय में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 19,97,470 2012-13: 19,10,473 2013-14: 17,26,948 2014-15: 16,45,947 2015-16: 16,16,481 प्रतिशत गिरावट (2011-16): 19
पीलीभीत	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।				
रामपुर	वर्ष 2012-16 के मध्य पुस्तकों का परिवहन जिला अधिकारी द्वारा चुनाव हेतु अनुमोदित दरों पर किया गया। वर्ष 2011-12 में निविदा प्रक्रिया के द्वारा पुस्तकों का परिवहन किया गया।	2011-12: 1,52,110 2012-13: 2,94,403 2013-14: 3,68,110 2014-15: 3,92,400 2015-16: 3,87,716	न्यूनतम (2011-12): ₹ 1,52,110 अधिकतम (2014-15): ₹ 3,92,400	वर्ष 2011-12 की अवधि में किये गये व्यय की तुलना में वर्ष 2015-16 में पुस्तकों के परिवहन व्यय पर 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 18,54,680 2012-13: 16,16,215 2013-14: 14,71,352 2014-15: 13,05,196 2015-16: 12,86,561 प्रतिशत गिरावट (2011-15): 29.63
सोनभद्र	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहन को ईंधन उपलब्ध कराकर तथा चालक को पारितोषिक देकर पुस्तकों का परिवहन किया गया था।	2011-12: 89,902 2012-13: 1,12,668 2013-14: 81,651 2014-15: 90,000 2015-16: 4,37,499	न्यूनतम (2013-14): ₹ 81,651; अधिकतम (2015-16): ₹ 4,37,499	वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2015-16 में पुस्तकों के परिवहन की लागत में 436 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 18,63,506 2012-13: 19,06,490 2013-14: 17,36,518 2014-15: 17,50,797 2015-16: 18,00,894 प्रतिशत बढ़ा (2013-16): 3.71

⁶ जिला समिति की बैठक न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था।

सुलतानपुर	डीजल एवं पुस्तकों की चढ़ाई एवं उतराई की लागत उपलब्ध कराकर पुस्तकों का परिवहन किया गया। (ट्रांसपोर्टर द्वारा ईंधन की खपत की मांग अलग अलग वर्षों में अलग अलग की गयी, अलग-अलग वाहनों के लिये चढ़ाई एवं उतराई की लागत में बहुत अन्तर था और वर्ष 2014-15, 2015-16 के मध्य परिवहन पर किया गया व्यय बिना कारण के कई गुना बढ़ गया था)।	2011-12: 5,21,343 2012-13: 4,99,560 2013-14: 5,75,103 2014-15: 15,17,178 ⁸ 2015-16: 13,46,758	न्यूनतम (2012-13): ₹ 4,99,560; अधिकतम (2014-15): ₹ 15,17,178	वर्ष 2014-15 में पुस्तकों के परिवहन पर किये गये व्यय में वर्ष 2012-13 की तुलना में 204 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 25,84,997 2012-13: 21,99,148 2013-14: 19,08,959 2014-15: 20,81,858 2015-16: 1880734 प्रतिशत गिरावट (2012-15): 5.33
उन्नाव	जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित, ब्लाक स्तर तक प्रति फेरा दर के आधार पर पुस्तकों का परिवहन किया गया। भुगतान ब्लाक स्तर तक 3 फेरे के आधार पर किया गया।	2011-12: 1,46,997 2012-13: 1,38,661 2013-14: 1,91,547 2014-15: 2,13,432 2015-16: 2,99,130	न्यूनतम (2011-12): ₹ 1,38,661; अधिकतम (2015-16): ₹ 2,99,130	वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2015-16 में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई।	2011-12: 23,54,829 2012-13: 22,66,603 2013-14: 20,08,436 2014-15: 18,73,904 2015-16: 18,70,278 प्रतिशत घटा (2010-16): 20.58

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना)

⁷ (अ) निविदा आमंत्रित करते समय कुछ अवयवों जैसे डीजल एवं मोबिल आयल की खपत, जो कि अचर की जा सकती थी, उसे परिवाहक के निर्णय पर छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप, विभिन्न परिवाहकों ने विभिन्न वर्षों में टाटा ट्रक के लिए 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर; आइसर 407 के लिए 1.5 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर; टाटा 307 के लिए 6 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर और टाटा मैजिक हाफ के लिये 10 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल की खपत उद्धृत की। इसी प्रकार मोबिल आयल की खपत दर विभिन्न वर्षों में, टाटा ट्रक के लिए 25 से 20000 किलोमीटर प्रति लीटर; आइसर 407 के लिए 300 से 25000 किलोमीटर प्रति लीटर, टाटा 307 के लिए 500 से 25000 किलोमीटर प्रति लीटर और टाटा मैजिक हाफ के लिए 800 से 25000 किलोमीटर प्रति लीटर के मध्य विस्तारित थी, जिसका तदनुसार भुगतान किया गया। डीजल एवं मोबिल आयल की खपत में बड़ा अन्तर औचित्यपूर्ण नहीं था।

(ब) माल चढ़ाई एवं उतराई प्रभार में बहुत अधिक भिन्नता थी; जोकि टाटा ट्रक के लिए ₹ 1,080 से ₹ 2,400; आइसर 407 हेतु ₹ 540 से ₹ 2,400, टाटा 307 हेतु ₹ 540 से ₹ 1,800 और टाटा मैजिक हाफ हेतु ₹ 540 से ₹ 1,200 के मध्य विस्तारित थी।

(स) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान पुस्तकों के परिवहन हेतु परिवहन लागत ₹ 499560 से ₹ 575103 का भुगतान किया गया था, जिसका औसत ₹ 5.37 लाख प्रतिवर्ष था। तथापि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय बढ़कर ₹ 15.17 लाख हो गया, जो कि विगत वर्ष में किये गये व्यय का 2.85 गुना था और पुस्तकों की लागत (₹ 2.11 करोड़) का 8.8 प्रतिशत था, जो कि पुस्तकों के परिवहन व्यय के राज्य स्तरीय औसत की लगभग दुगुनी थी। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान पुस्तकों के परिवहन पर किया गया व्यय ₹ 13.47 लाख था, जो कि पुस्तकों की लागत (₹ 1.88 करोड़) का 7.19 प्रतिशत था जबकि पूरे प्रदेश का औसत पिछले वर्ष 3.28 प्रतिशत था। यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान परिवाहक द्वारा उद्धृत दर का औचित्य निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान अनुमोदित दर के आधार पर नहीं किया गया था। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि न्यूनतम निविदादाता (परिवाहक) द्वारा वर्ष 2014-15 और 2015-16 में उद्धृत डीजल की खपत दर वर्ष 2013-14 के दौरान उद्धृत खपत दर की तुलना में 8 से 60 प्रतिशत और 8 से 40 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार माल चढ़ाई एवं उतराई अधिभार अधिक था तथा वर्ष 2013-14 के दौरान उद्धृत दर की तुलना में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान क्रमशः 77.5 प्रतिशत और 233 प्रतिशत के मध्य अधिक था, जो कि बिना किसी विश्लेषण के अनुमोदित किया गया था। परिणामस्वरूप विगत वर्ष में हुये व्यय की तुलना में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः ₹ 12.04 लाख एवं ₹ 8.15 लाख अधिक व्यय किया गया था।

⁸ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ऐसे जनपदों की, जिन्होंने पुस्तकों के परिवहन पर पुस्तक मूल्य का 6 प्रतिशत से अधिक व्यय किया था, विशेष लेखापरीक्षा करने के निर्णय के परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 में ₹ 17.36 लाख के बिल के भुगतान को ₹ 15.17 लाख पर सीमित कर दिया गया।

परिशिष्ट 2.1.22

वर्ष 2010-16 के मध्य निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण में विभिन्न स्तरों पर हुए विलम्ब का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

जिलों का नाम	आपूर्ति आदेश के प्रेषण में देरी (दिनों में)	मुद्रकों द्वारा जिलों को आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की प्रारम्भिक आपूर्ति की तिथि						प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या (सर्व शिक्षा अभियान + उत्तर प्रदेश सरकार)	जुलाई माह के बाद वितरित की गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की संख्या
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
बहराइच	0-16	23.07.2010	10.09.2011	18.09.2012	18.09.2013	30.05.2014	08.08.2015	1,93,29,940	1,09,42,311
फर्रुखाबाद	2-23	15.06.2010	19.06.2011	20.06.2012	22.05.2013	15.06.2014	28.07.2015	89,30,234	26,79,059
फिरोजाबाद	0-20	02.06.2010	06.07.2011	09.06.2012	30.05.2013	25.06.2014	02.06.2015	95,87,201	29,56,583
गाजियाबाद	1-15	25.07.2010	28.08.2011	18.07.2012	28.10.2013	11.07.2014	22.07.2015	52,08,146	14,04,681
गाजीपुर	1-18	12.06.2010	14.07.2011	09.06.2012	29.05.2013	09.06.2014	08.06.2015	1,69,37,390	77,03,058
गोरखपुर	0-16	30.06.2010	21.07.2011	02.07.2012	19.06.2013	17.06.2013	10.06.2015	1,82,82,467	73,12,988
झाँसी	0-23	18.06.2010	16.07.2011	08.06.2012	10.05.2013	09.06.2014	09.06.2015	86,77,175	36,18,722
कानपुर देहात	1-12	14.06.2010	12.07.2011	26.07.2012	04.06.2013	05.06.2014	19.06.2015	73,37,761	28,31,771
लखीमपुर खीरी	0-10	06.2010	06.2011	05.2012	06.2013	05.2014	06.2015	1,80,26,972	21,39,387
महराजगंज	2-18	01.07.2010	05.07.2011	04.07.2012	25.06.2013	29.06.2014	06.07.2015	1,25,22,824	4,46,584
मऊ	0-27	02.07.2010	14.07.2011	02.06.2012	24.06.2013	23.06.2014	24.06.2015	1,09,58,404	24,05,165
पीलीभीत	अभिलेख/सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई								
रामपुर	0-16	29.05.2010	03.07.2011	04.06.2012	02.06.2013	31.05.2014	09.06.2015	95,83,039	31,33,838
सोनभद्र	0-18	15.05.2010	18.07.2011	07.06.2012	10.05.2013	03.06.2014	08.06.2015	1,10,64,487	43,10,518
सुलतानपुर	0-103	30.05.2010	01.07.2011	06.06.2012	08.05.2013	28.05.2014	12.06.2015	1,43,25,588	51,02,857
उन्नाव	0-2	11.07.2010	10.08.2011	10.07.2012	17.07.2013	27.06.2014	17.08.2015	1,27,71,233	21,21,670
योग								18,35,42,861	5,91,09,192

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.23

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक घटक पर आवंटन, व्यय एवं बच्चों के आच्छादन का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

वर्ष	आवंटन	व्यय	शेष	लक्ष्य	वास्तविक नामांकन	वास्तविक आच्छादन
	(₹ करोड़ में)			(अंको में)		
2010-11	114.81	82.21	32.60	1,47,84,400	उपलब्ध नहीं	1,43,40,731
2011-12	114.98	97.95	17.03	1,43,38,431	उपलब्ध नहीं	1,41,99,371
योग (अ)	229.79	180.16	49.63	2,91,22,831		2,85,40,102
2012-13	129.65	103.39	26.26	1,41,62,630	1,44,73,717	1,41,58,397
2013-14	252.02	126.30	125.72	1,40,12,396	1,40,10,725	1,39,34,258
2014-15	199.60	129.35	70.25	1,38,31,943	1,36,77,895	1,35,34,304
2015-16	186.41	152.30	34.11	1,32,94,158	1,32,39,443	1,31,53,093
योग (ब)	767.68	511.34	256.34	5,53,01,127	5,54,01,780	5,47,80,052
महायोग	997.47	691.50	305.97	8,44,23,958	5,54,01,780	8,33,20,154

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना, नामांकन जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार)

परिशिष्ट 2.1.24
छात्रों को विलम्ब से यूनिफार्म की आपूर्ति का विवरण (सम्पूर्ण राज्य)
 (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	वर्ष	यूनिफार्म वितरण की निर्धारित तिथि	निर्धारित तिथि तक यूनिफार्म वितरण की स्थिति	बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध कराने में देरी
1	2011-12	11.11.11	बच्चों को केवल एक सेट यूनिफार्म उपलब्ध कराया गया था	
2.	2013-14	30.11.13	21 जनपद दिनांक 10.12.2013 तक यूनिफार्म वितरण में असफल रहें। अन्य जनपदों द्वारा वितरण हेतु नियत तिथियों तक एक से 71 प्रतिशत ⁹ तक यूनिफार्म का वितरण किया गया।	दिनांक 26.08.2013 (75 प्रतिशत) एवं 07.01.2014 (25 प्रतिशत) को निधियों के विलंब से अंतरण के कारण यूनिफार्म का समय से वितरण संभव नहीं था।
3	2014-15	30.9.14	46 जनपदों में 30 अक्टूबर 2014 तक यूनिफार्म वितरित नहीं किये गये शेष जनपदों में नियत तिथि तक 50 से 74 प्रतिशत ही यूनिफार्म वितरण किया गया।	यूनिफार्म के वितरण हेतु निधियां 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की दो किश्तों में क्रमशः दिनांक 15.09.2014 एवं 25.02.2015 को हस्तांतरित की गयी।
4.	2015-16	20.8.15	समय से यूनिफार्म का वितरण नहीं किया गया।	सत्र अप्रैल 2015 में आरम्भ हुआ। यूनिफार्म हेतु निधियां दो किश्तों में क्रमशः 28.07.2015 (75 प्रतिशत) एवं 27.01.2016 (25 प्रतिशत) को हस्तांतरित की गयी।

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

⁹ 9, 20, 05, एवं 18 जनपदों द्वारा क्रमशः 1 से 30 प्रतिशत, 31 से 60 प्रतिशत, 61 से 70 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत के मध्य यूनिफार्म वितरित किया गया।

परिशिष्ट 2.1.25

बच्चों को यूनिफार्म वितरण में विलम्ब का विवरण (चयनित जनपदों में)

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.2)

क्र. सं.	जिला का नाम	अवधि	छात्रों की संख्या	विलम्ब दिनों में
1	बहराइच	2012-16	38,894	39 से 199
2	फिरोजाबाद	2011-16	44,336	31 से 168
3	फर्रुखाबाद	2012-13	6,560	61
4	गाजियाबाद	सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।		
5	गाजीपुर	2011-16	1,44,418	67 से 230
6	गोरखपुर	2012-15	33,732	58 से 221
7	झाँसी	2011-13, 2015-16	15,573	34 से 130
8	कानपुर देहात	2011-16	00	समय से वितरित
9	लखीमपुर खीरी	2011-16	86,004	61 से 107
10	महाराजगंज	2011-16	1,18,866	39 से 138
11	मऊ	2011-16	3,09,733	33 से 209
12	पीलीभीत	2011-16	00	समय से वितरित
13	रामपुर	2011-16	28,077	20 से 145
14	सोनभद्र	2012-13, 2014-15	36,507	59 से 121
15	सुलतानपुर	2011-13, 2014-16	1,00,719	32 से 111
16	उन्नाव	2012-16	42,572	32 से 174
योग			10,05,991	

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.1.26

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की वर्षवार स्थिति का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय ¹⁰					उच्च प्राथमिक विद्यालय ¹¹				
	स्वीकृत	विगत वर्ष के अवशेष विद्यालय	निर्मित	निर्माणाधीन	अनारम्भ	स्वीकृत	विगत वर्ष के अवशेष विद्यालय	निर्मित	निर्माणाधीन	अनारम्भ
2010-11	0	703	670	33	0	1,126	918	1943	101	0
2011-12	10,364	33	714	6,762	2,921	1,052	101	87	648	418
2012-13	0	9,683	5,709	3,491	483	0	1,066	617	364	85
2013-14	0	3,974	3,044	560	370	0	449	217	190	42
2014-15	0	930	367	102	461	0	229	115	37	77
2015-16	0	563	17	77	469	0	114	19	22	73
योग	10,364		10,521			2,178		2,998		

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना)

¹⁰ 1 अप्रैल 2010 को विगत वर्ष के अनिर्मित प्राथमिक विद्यालय का प्रारम्भिक अवशेष 703 था जिसे वर्ष 2010-16 के मध्य 10,364 स्वीकृत विद्यालयों में जोड़ दिया जाये तो वर्ष 2010-16 में कुल 11,067 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण होना था।

¹¹ 1 अप्रैल 2010 को विगत वर्ष के अनिर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रारम्भिक अवशेष 918 था जिसे वर्ष 2010-16 में स्वीकृत 2,178 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जोड़ने तथा वर्ष 2014-15 के मध्य समर्पित तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को घटाने पर वर्ष 2010-16 में कुल 3,093 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण होना था।

परिशिष्ट 2.1.27
विद्यालयों का निर्माण न होने के कारणों का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद का नाम	विद्यालयों के निर्माण हेतु अपर्याप्त लागत
सुलतानपुर	वर्ष 2011-12 की अवधि में 344 नवीन प्राथमिक विद्यालयों (₹ 6.73 लाख प्रति प्राथमिक विद्यालय की दर से) एवं 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (₹ 9.01 लाख प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय की दर से) के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि इन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निर्माण लागत सम्बन्धित विद्यालय प्रबंध समितियों को हस्तांतरित कर दी गयी परन्तु चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी 48 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया क्योंकि निर्माण प्रभारियों द्वारा लागत में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी थी। इन अनिर्मित विद्यालय में से 12 विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा कुल धनराशि ₹ 29.64 लाख वापस नहीं की गयी थी, जबकि उसे दिसंबर 2014 तक वापस किये जाने के निर्देश थे।
भूमि विवाद	
18 जनपद ¹²	वर्ष 2011-12 की अवधि में 18 जनपदों में 35 प्राथमिक विद्यालयों एवं पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु ₹ 280.60 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। भूमि विवाद के कारण, धनराशि अवमुक्त होने से चार वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण नहीं हुआ।
विवादित स्थल का चयन	
गोरखपुर	भूमि का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किये बिना विकास खण्ड खोराबार के उच्च प्राथमिक विद्यालय अमैया (2002-03 में स्वीकृत) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। आंशिक निर्माण की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर अपना दावा पेश करने के कारण विद्यालय का निर्माण कार्य रोक दिया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि यह विद्यालय बाद में स्वीकृत पांच अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं में संचालित था।
गोरखपुर	भूमि का स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किये बिना प्राथमिक विद्यालय पयासी, विकास खण्ड खोराबार (2007-08 में स्वीकृत) का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। अर्धनिर्मित स्थिति में (लगभग 95 प्रतिशत) विद्यालय भवन पर एक व्यक्ति द्वारा भूमि का स्वामी होने का दावा करके कब्जा कर लिया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि पशुओं एवं पशुओं को खिलाने का भूसा विद्यालय के कमरे में रखा गया था और प्राथमिक विद्यालय पयासी उच्च प्राथमिक विद्यालय पयासी के भवन में संचालित था।
मानकों के विरुद्ध विद्यालयों की स्वीकृति	
उन्नाव	13 उच्च प्राथमिक विद्यालय मानकों के विरुद्ध स्वीकृत थे जिनका जनवरी 2013 में समर्पण कर दिया गया था परन्तु कुल धनराशि ₹ 1.18 करोड़ राज्य परियोजना कार्यालय को हस्तांतरित नहीं की गयी।
गोरखपुर	निर्धारित मानकों के विरुद्ध चयनित 47 प्राथमिक एवं 3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अन्य विद्यालयों के साथ बदल दिया गया।

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय एवं सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों के अभिलेख)

¹² अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, गोंडा, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, प्रतापगढ़, संतरविदास नगर (भदोही), सीतापुर एवं श्रावस्ती।

परिशिष्ट 2.1.28
भवनविहीन, किराये के भवन में एवं जर्जर भवन में
संचालित विद्यालयों का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद	बिना भवन के संचालित विद्यालयों की संख्या	किराये के भवनों ¹³ में संचालित विद्यालयों की संख्या	जर्जर भवनों में संचालित विद्यालयों की संख्या
बहराइच	2 ¹⁴	10	7
फर्रुखाबाद	0	34	3
फिरोजाबाद	0	39	14
गाजीपुर	0	1	0
गाज़ियाबाद	0	15	1
गोरखपुर	0	15	4
झाँसी	0	12	32
कानपुर देहात	1	7	12
लखीमपुर खीरी	8	6	6
महराजगंज	0	3	4
मऊ	0	3	5
पीलीभीत	0	10	0
रामपुर	0	12	0
सोनभद्र	0	0	0
सुलतानपुर	0	0	4
उन्नाव	0	1	2
योग	30	168	94

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के ऑकड़े एवं सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारियों के अभिलेख)

¹³ विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में जनपद उन्नाव में एक सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महराजगंज में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बिना किसी शिक्षण क्रियाकलाप के जर्जर स्थिति में पाये गये।

¹⁴ विकास खंड महसी में 8 विद्यालय 6 से 11 वर्ष से बिना भवन के संचालित थे; विकास खंड मिहीपुरवा में एक विद्यालय 10 वर्ष से घास फूस के छप्पर में संचालित था; विकास खंड महसी के 3 विद्यालय एवं विकास खंड पयागपुर के 2 विद्यालय अतिरिक्त कक्षा कक्ष में संचालित थे, विकास खंड बलहा के 7 विद्यालयों के भवन बाढ़ में ध्वस्त हो जाने के कारण अतिरिक्त कक्षा-कक्ष में संचालित थे।

परिशिष्ट 2.1.29
एक ही भवन में संचालित कई विद्यालयों का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद का नाम	एक ही भवन में संचालित विद्यालयों की संख्या	ऐसे भवनों की संख्या	इन भवनों में संचालित विद्यालयों की संख्या
बहराइच	2 से 3	5	11
फिरोजाबाद	2 से 3	26	55
गोरखपुर	2	7	14
झाँसी	2	10	20
पीलीभीत	2 से 3	10	25
सुलतानपुर	2 से 3	5	12
उन्नाव	2 से 3	9	23
योग		72	160

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.30
चयनित जनपदों में कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की स्थिति का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

जनपद का नाम	स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	निर्माण की स्थिति	टिप्पणी
सुलतानपुर	1 (अक्टूबर 2011)	41.04	मार्च 2012	निर्माण कार्य पूर्ण (2013)	संचालित नहीं, क्योंकि दरवाजे/ खिड़कियाँ एवं विद्युत कार्य पूर्ण नहीं थे।
गोरखपुर	2 (जनवरी 2010)	71.24	जून 2010	पूर्ण (जुलाई 2011)	संचालित नहीं, एक विद्यालय में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित था।
	1 (अक्टूबर 2011)	41.04	मार्च 2012	अपूर्ण	कार्यदायी संस्था द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी परन्तु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी।
लखीमपुर खीरी	2 (अक्टूबर 2011)	82.08	मार्च 2012	अपूर्ण/ अहस्तांतरित	एक विद्यालय अपूर्ण था एवं दूसरा हस्तांतरित नहीं हुआ था।
योग		235.40		अर्थात् ₹ 2.35 करोड़	

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.31
अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण में मानकों के उल्लंघन
एवं अनियमितताओं का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

(₹ लाख में)

जनपद का नाम	वर्ष	शिक्षा का अधिकार अधिनियम ¹⁵ के मानकों का उल्लंघन करते हुये		शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों को बिना सुनिश्चित किये		भूमि की उपलब्धता के बिना निर्मित		बिना मांग के दिया गया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
फर्रुखाबाद	2011-12	193	387.93	0	0	45	90.45	34	68.34
फिरोजाबाद	2010-11	117	235.17	0	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	0	11	22.11	10	20.10
	2012-13	73	146.73	0	0	8	16.08	10	20.10
गोरखपुर	2010-11	29	58.29	0	0	0	0	0	0
	2011-12	162	325.62	0	0	0	0	0	0
	2012-13	67	134.67	139 ¹⁶	279.39	0	0	0	0
	2014-15	0	0	46	158.70	0	0	0	0
गाजीपुर	2010-11	3	6.03	0	0	4	8.04	181	363.81
	2012-13	11	22.11	0	0	5	10.05	51	102.51
	2014-15	105	362.25	0	0	0	0	77	265.65
झाँसी	2010-11	51	104.55	0	0	0	0	0	0
	2014-15	14	48.3	68 ¹⁷	234.60	0	0	0	0
कानपुर देहात	2010-11	30	60.30	0	0	1	2.01	4	8.04
	2011-12	3	6.03	0	0	0	0	0	0
	2014-15	22	75.90	0	0	0	0	0	0
महाराजगंज	2010-11	214	430.14	0	0	91	182.91	0	0
	2011-12	9	18.09	0	0	0	0	0	0
	2012-13	0	0	0	0	0	0	53	106.53
पीलीभीत	2010-11	13	26.13	0	0	0	0	0	0
	2011-12	43	86.43	0	0	0	0	0	0
	2012-13	3	6.03	0	0	0	0	0	0
	2014-15	5	17.25	0	0	0	0	0	0
रामपुर	2011-12	298	598.98	0	0	30	60.30	45	90.45
सोनभद्र ¹⁸	2010-11	38	76.38	133 ¹⁹	294.69	0	0	0	0
	2011-12	54	108.54			0	0	0	0
	2012-13	75	150.75			0	0	0	0
	2014-15	4	13.80			0	0	0	0
योग		1,636	3,506.4	386	967.38	195	391.95	465	1,045.53
सकल योग (अतिरिक्त कक्षा कक्षा की संख्या)		2,682							
महायोग (लागत)		₹ 5,911.26 लाख		अर्थात्		59.11 करोड़			

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालय के अभिलेख)

¹⁵ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों को ध्यान में रखते हुए नामांकित बच्चों हेतु आवश्यक कक्षा कक्ष से अधिक का आवंटन।¹⁶ प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं को अन्य प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किये बिना हस्तांतरित किया गया।¹⁷ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के ऑकड़ों को 30 सितंबर के लिए संकलित किया गया, जबकि 2014-15 के दौरान 99 अतिरिक्त कक्षा कक्षा 31 मार्च 2015 को स्वीकृत किए गए। 75 विद्यालय जिन्हें 2014-15 की अवधि में अतिरिक्त कक्षा कक्षा स्वीकृत किये गये थे उनके पास पहले से ही 267 अतिरिक्त कक्षा कक्षा उपलब्ध थे। इस प्रकार उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण सूचना के द्वारा 35 विद्यालयों ने 57 अतिरिक्त कक्षा कक्षा (कुल लागत ₹ 1.97 करोड़) बिना आवश्यकता के प्राप्त किये। इन विद्यालयों में से एक विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय पलीदा, ब्लॉक बबीना, झाँसी) के 7.6.2016 को किये गये भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय के पास एक पुराना भवन प्रधानाध्यापक कक्षा सहित था। निरीक्षण के समय उपलब्ध शिक्षक द्वारा बताया गया कि भवन शिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, दो अतिरिक्त कक्षा कक्षा (2006-07 में निर्मित) भी विद्यालय में उपलब्ध थे। फिर भी, विद्यालय में मात्र एक ही कक्षा-कक्षा की उपलब्धता को सूचित कर एक और अतिरिक्त कक्षा कक्षा प्राप्त किया गया।¹⁸ सूची में अंकित टिप्पणी - सुरक्षा बल (7 अतिरिक्त कक्षा कक्षा) वनवासियों के अधीन (1 अतिरिक्त कक्षा कक्षा) एवं नक्सल (21 अतिरिक्त कक्षा कक्षा)।¹⁹ बिना किसी तकनीकी रिपोर्ट के विद्यालय को जर्जर घोषित किये जाने के कारण।

परिशिष्ट 2.1.32

चयनित जनपदों में अवरुद्ध धनराशि का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवरुद्ध धनराशि का विवरण	अवरुद्ध धनराशि
विद्यालयों का निर्माण		
1.	जनपद उन्नाव में, मानकों के विपरीत 13 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए जिनको जनवरी 2013 में समर्पित कर दिया गया परन्तु कुल धनराशि ₹ 1.18 करोड़ राज्य परियोजना कार्यालय को अन्तरित नहीं की गयी।	1.18
हैंडपम्प		
2.	जनपद सुलतानपुर में 2011-15 के दौरान स्वीकृत 429 हैंडपम्पों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर द्वारा मात्र 340 हैंडपम्प स्थापित किए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.60 लाख का उपयोग नहीं हुआ।	0.35
3.	जनपद झाँसी में विद्यालयों के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण 2011-12 के दौरान प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ स्वीकृत 35 हैंडपम्प स्थापित नहीं किए गए। तथापि, कुल ₹ 18.62 लाख की धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय को वापस नहीं की गयी।	0.19
4.	कानपुर देहात के पांच विद्यालयों हेतु स्वीकृत (2010-11) पांच हैंडपम्पों को अवस्थापित करने हेतु यूपी एग्री को ₹ 1.60 लाख अवमुक्त किये जाने के बावजूद कोई हैंडपम्प अवस्थापित नहीं किया गया।	0.20
ब्लॉक संसाधन केन्द्रों का निर्माण		
5.	चयनित जनपद सुलतानपुर में सितम्बर 2010 में निर्माण लागत ₹ 8.00 लाख पर स्वीकृत एक ब्लॉक संसाधन केन्द्र (करौंदी कला) का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को प्रदान किया गया। तथापि, अतिरिक्त निर्माण लागत की मांग के कारण भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा स्तर पर ₹ 8.00 लाख अवरुद्ध थे।	0.08
6.	चयनित जनपद बहराइच में कुल निर्माण लागत ₹ 80.00 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक) के 15 ब्लॉक संसाधन केन्द्र प्रशिक्षण हॉल और एक संसाधन कक्ष का निर्माण स्वीकृत (2011-12) किया गया। यह पाया गया कि निर्माण लागत का मात्र 50 प्रतिशत कार्यदायी संस्था (सी.एंडडी.एस.) को प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप भवन पूर्ण नहीं किये जा सके, जिससे ₹ 40 लाख अवरुद्ध हो गये।	0.40
7.	चयनित जनपद गोरखपुर में कुल निर्माण लागत ₹ 100 लाख (₹ 5.00 लाख प्रत्येक) के 20 ब्लॉक संसाधन केन्द्र प्रशिक्षण हॉल का निर्माण स्वीकृत (मई 2011) हुआ। यह पाया गया कि मात्र ₹ 73.28 लाख कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम) को उपलब्ध कराये गए। जिसके परिणामस्वरूप, भवन पूर्ण नहीं कराये जा सके, जिससे ₹ 73.28 अवरुद्ध हो गये।	0.73
योग		3.13

(स्रोत: जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त अभिलेख)

परिशिष्ट 2.1.33
शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में
2010-16 के मध्य छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

वर्ष	शासकीय/शासकीय सहायक प्राप्त विद्यालय		निजी विद्यालय	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2010-11	40	38	55	41
2011-12	39	36	57	42
2012-13	35	32	56	40
2013-14	36	29	52	38
2014-15	34	28	49	35
2015-16	36	24	46	35

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.34
विद्यालयों में अधिक शिक्षकों की तैनाती का विवरण
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

प्राथमिक विद्यालय					
नामांकन	3 शिक्षक	4 शिक्षक	5 शिक्षक	5 शिक्षक से अधिक	योग
20से कम	469	202	39	10	720
25-50	4,101	1,853	451	139	6,544
योग	4,570	2,055	490	149	7,264
उच्च प्राथमिक विद्यालय					
20 से कम		182	39	19	240
25-50		1,452	443	242	2,137
योग		1,634	482	261	2,377

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.35
विद्यालयों में कम शिक्षकों की तैनाती का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

प्राथमिक विद्यालय					
नामांकन	1 शिक्षक	2 शिक्षक	3 शिक्षक	4 शिक्षक	योग
150-200	845	2,532	4,011	3,332	10,720
200 से अधिक	510	1,613	2,594	2,295	7,012
योग	1,355	4,145	6,605	5,627	17,732
उच्च प्राथमिक विद्यालय					
150-200	76	181	257	394	908
200से अधिक	31	64	130	216	441
योग	107	245	387	610	1,349

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.36
2010-16 के मध्य शैक्षिक दिवस प्राप्ति का विवरण
 (सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		योग
	175 से कम	175 से 200	175 से कम	175 से 200	
2010-11	1,03,444	0	42,650	0	1,46,094
2011-12	1,02,079	0	44,027	0	1,46,106
2012-13	1,07,649	0	45,331	0	1,52,980
2013-14	772	1,017	245	126	2,160
2014-15	42	700	10	313	1,065
2015-16	00	00	26	40328	40,354

(स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली)

परिशिष्ट 2.1.37

नमूना चयनित जनपदों में कंप्यूटर की उपलब्धता एवं उनके उपयोग का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.8.4)

विवरण	बहराइच	फर्रुखाबाद	फिरोजाबाद	गाजियाबाद ²⁰	गाज़ीपुर	गोरखपुर ²¹	झाँसी	कानपुर देहात	लखीमपुर खीरी	महाराजगंज	मऊ	रामपुर	पीलीभीत	सोनभद्र	सुलतानपुर ²²	उन्नाव	योग
	1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	
जनपदों द्वारा कुल क्रय किये गये कंप्यूटर ²³	123	91	107	70	115	0	116	84	124	90	94	86	89	115	103	112	1519
विद्यालयों में कंप्यूटर की उपलब्धता	82	61	87	40	83	0	98	79	114	81	82	70	71	114	80	77	1219
विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अवस्थापित कंप्यूटर	40	28	16	26	28	0	15	01	8	3	8	15	17	0	20	33 ²⁴	258
कंप्यूटर उपलब्ध पर संचालित नहीं	34	3	33	30	10	0	24	31	28	4	6	16	6	50	0	6	281
चोरी हुए कंप्यूटर	1	2	4	4	4	0	3	04	2	6	4	1	1	1	3	2	42
कंप्यूटर उपलब्ध पर अनुदेशक नहीं	42	61	71	35	35	0	66	52	4	67	38	60	27	62	65	77	762
अनुदेशक उपलब्ध पर कंप्यूटर नहीं	15	2	0	3	3	0	24	2	1	16	12	2	7	5	3	0	95

(स्रोत: संबंधित जिला परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना)

²⁰ 2011-12 के मध्य क्रय किये गये चार कंप्यूटर न तो भंडार में उपलब्ध थे न ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निर्गत किये गये थे।

²¹ लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार अनुरोध किये जाने के उपरांत भी अभिलेख/सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी।

²² कुल संख्या में 2010-11 में क्रय किये गये 20 कंप्यूटर 17" मॉनिटर के साथ एवं 5 कंप्यूटर 40" मॉनिटर के साथ सम्मिलित है। विक्रेता (श्रीद्रॉन इण्डिया लिमिटेड) ने एचसीएल निर्मित मॉनीटर्स के स्थान पर एन-कोला निर्मित मॉनीटर्स की आपूर्ति की एवं आपूर्ति की गयी सामग्री खराब थी। जब तक कि विक्रेता ने अपने पत्र दिनांक 04.03.15 के द्वारा संतोषपूर्ण आपूर्ति के सत्यापन के उपरान्त अवमुक्त किये जाने हेतु रोक कर रखे जाने वाली 10 प्रतिशत धनराशि जब्त करने की अपनी लिखित सहमति प्रदान नहीं की तब तक आपूर्ति स्वीकार नहीं की गयी, यद्यपि मुख्य कोषाधिकारी, सुलतानपुर ने यह सचेत किया था कि यह समझौता सरकार के हित में नहीं है। प्रकरण के समाधान के समय 2011-14 के मध्य बच्चों को शिक्षा प्रदान न कर पाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं लिया गया। अग्रेतर, 17" मॉनिटर वाले 20 कंप्यूटर में से 18 कंप्यूटर चुनाव कार्यों हेतु विपथित किये गये जो कि वापस प्राप्त नहीं हुए, एवं 2 खराब कंप्यूटर यथावत रखे रहे। 40" के 5 कंप्यूटरों का उल्लेख जिनका मूल्य ₹ 5.08 लाख था, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित सूचना में नहीं किया गया एवं उन 5 विद्यालयों में से एक विद्यालय के, जहाँ इन्हें प्रेषित किया गया था, संयुक्त भौतिक निरीक्षण में कंप्यूटर उपलब्ध नहीं पाया गया।

²³ वर्ष 2010-11 की अवधि में, 71 जनपदों में से प्रत्येक जनपद के ब्लॉक स्तर के उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श कम्प्यूटर सहायित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु, बिना यह विवेचित किये ही कि आदर्श कंप्यूटर सहायित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से क्या तात्पर्य है एवं वे अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों से किस प्रकार से अलग है जिन्हें 17"/18.5" मॉनीटर के साथ कंप्यूटर प्रदान किये गये हैं, 40" मॉनीटर के साथ 5 कंप्यूटर प्रदान किये गये। इस प्रकार प्रति कम्प्यूटर ₹ 28,500 का परिहार्य व्यय हुआ।

²⁴ 2011-12 में क्रय, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उन्नाव ने मार्च एवं सितम्बर, 2014 में 32 कंप्यूटर वापस किये जो क्रियाशील नहीं थे। शेष 2 कंप्यूटर वापस नहीं किये गये।

परिशिष्ट 2.1.38

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष नामांकित बालिकाओं की संख्या का विवरण

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 2.1.9.1)

संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ²⁵			बालिकाओं का नामांकन (कक्षा 6 से 8 तक)						
वर्ष	योग	कुल उपलब्ध सीट	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	गरीबी रेखा के नीचे	अल्पसंख्यक	योग	कमी (प्रतिशत में)
2010-11	454	44,800	17,530	647	15,433	4,545	4,363	42,547	2,253 (5%)
2011-12	746	74,000	29,617	670	23,718	7,066	5,664	66,735	726 (10%)
2012-13	746	74,000	29,617	670	23,718	7,066	5,664	66,735	7,265 (10%)
2013-14	746	74,000	31,528	923	27,270	6,261	5,961	71,953	2,047 (3%)
2014-15	746	74,000	29,238	945	24,798	4,948	11,069	70,998	3,002 (4%)
2015-16	746	74,000	29,788	894	24,922	4,672	12,493	72,769	1,231 (2%)
योग		4,14,800						3,91,737	

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.39

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर किये गये परिहार्य व्यय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.9.2)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में चिन्हित/दर्शाये गए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्पिल ओवर सम्मिलित करते हुए अनुमोदित धनराशि (₹लाख में)	इकाई दर (₹)	विशिष्ट आवश्यकता वाले नामांकित बच्चों की संख्या	कुल व्यय (₹लाख में)	प्रति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पर व्यय (₹में)	बिना विकलांगता प्रमाण-पत्र वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या	परिहार्य व्यय (7x8) (₹करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010-11	4,14,554	7,254.18	1,750	3,63,438	4,386.56	1,206.96	315,639	38.10
2011-12	3,97,511	8,739.17	2,200	3,75,319	6,382.27	1,700.49	331,726	56.41
2012-13	4,10,888	9,514.26 ²⁶	2,280	3,70,413	5,941.50	1,604.02	342,350	54.91
2013-14	1,14,668 ²⁷	3,440.04	3,000	2,15,400	3,284.83	1,524.99	177,855	27.12
2014-15	2,89,642	4,923.87	1,700	2,88,395	4,101.77	1,422.28	252,737	35.95
2015-16	2,88,395	5,767.90	2,200	2,62,879	4,691.83	1,784.79	246,547	44.00
योग	18,76,544	39,639.42		18,75,844	28,788.76		16,66,854	256.49

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

²⁵ वर्ष 2010-11 में 442 मॉडल-1 व 12 मॉडल-2, और 2011-12 एवं उससे आगे 734 मॉडल-1 व 12 मॉडल-2।

²⁶ ₹ 146 करोड़ स्पिल ओवर की धनराशि सम्मिलित करते हुए।

²⁷ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार विशिष्ट आवश्यकता वाले 3,47,896 बच्चे संस्तुत।

परिशिष्ट 2.1.40
मदरसा सुदृढीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विवरण
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.9.2)

जनपद का नाम	अनुमोदित		वास्तविक आच्छादन		टिप्पणी	उपभोग नहीं की गयी धनराशि (₹ लाख में)
	पुराने	नवीन	पुराने	नवीन		
2010-11²⁸						
बहराइच	16	63	16	56	नवीन आच्छादित मदरसों के अनुदेशकों को मात्र सात माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	27.93 <u>-20.61</u> 7.32
फिरोजाबाद	7	9	5	6	₹ 5.49 लाख आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 3.55 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 1.94 लाख का उपभोग नहीं हो सका जिससे दो पुराने तथा तीन नवीन मदरसे आच्छादित नहीं हो सके।	5.49 <u>-3.55</u> 1.94
गोरखपुर	0	41	0	39	एक मदरसे को मात्र छः माह की प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गयी।	14.00 <u>-12.22</u> 1.78
झांसी	0	43	0	43	दो मदरसों को मात्र 6½ माह की अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	13.67 <u>-12.90</u> 0.77
कानपुर देहात	7	14	7	14	लेखापरीक्षा को सम्बन्धित पत्रावलियां उपलब्ध नहीं करायी गयी।	6.93 <u>-6.25</u> 0.68
पीलीभीत	14	16	14	16	सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।	9.77 <u>-9.17</u> 0.60
रामपुर	8	0	8	0	पुराने आच्छादित मदरसों के अनुदेशकों को मात्र नौ माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष नौ माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	2.54 <u>-2.54</u> 0.00
सोनभद्र	4	8	4	8	सम्पूर्ण धनराशि उपभोगित नहीं की गयी।	4.17 <u>-3.77</u> 0.40
सुलतानपुर	20	36	18	36	36 नवीन मदरसों के अनुदेशकों को मात्र सात माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	19.41 <u>-15.66</u> 3.75
	76	230	72	218		

²⁸ फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मरु, तथा उन्नाव ने वांछित सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

2011-12 ²⁹						
बहराइच	67	29	62	23	नवीन आच्छादित मदरसों के अनुदेशकों को मात्र सात माह का मानदेय प्रदान किया गया। इस प्रकार अनुदेशकों द्वारा 10 माह के मानक के सापेक्ष सात माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी। 2010-11 में आच्छादित 10 मदरसे 2011-12 में आच्छादित नहीं हुए।	30.50 <u>-25.53</u> 5.03
फिरोजाबाद	11	2	11	0	धनराशि की उपलब्धता के बावजूद दो नवीन अनुमोदित मदरसे योजना में आच्छादित नहीं हुए।	4.23 <u>-3.16</u> 1.07
गोरखपुर	40	98	40	98	सम्बन्धित पत्रावली/मदरसों का वास्तविक आच्छादन उपलब्ध नहीं कराया गया।	45.77 <u>-28.75</u> 17.02
झांसी	43	74	43	74	₹ 5.28 लाख व्यय नहीं किये गये। अग्रेतर ₹ 1.91 लाख, जो डायट को दिया जाना था, नहीं दिया गया।	41.64 <u>-31.90</u> 9.74
कानपुर देहात	19	6	19	4	धनराशि की उपलब्धता के बावजूद छः नवीन अनुमोदित मदरसों में से मात्र चार ही आच्छादित हुए तथा दो मदरसे योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने से रह गये।	7.89 <u>-7.21</u> 0.68
लखीमपुर खीरी	50	20	50	0	₹ 37.68 लाख के आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 26.48 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 11.20 लाख का उपभोग नहीं हो सका, जिससे धनराशि की उपलब्धता के बावजूद 20 नवीन अनुमोदित मदरसे योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने से रह गये।	37.68 <u>-26.48</u> 11.20
पीलीभीत	30	51	30	51	पुराने एवं नवीन 81 मदरसों के अनुदेशकों को 10 माह के मानक के सापेक्ष मात्र नौ माह के मानदेय का भुगतान किया गया। फलस्वरूप ₹ 26.64 लाख के आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 23.58 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 3.06 लाख का उपभोग नहीं हो सका।	26.64 <u>-23.58</u> 3.06
रामपुर	8	40	8	28	₹16.12 लाख के आबंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 9.99 लाख का उपभोग किया गया तथा ₹ 6.13 लाख का उपभोग नहीं हो सका, जिससे धनराशि की उपलब्धता के बावजूद 12 नवीन अनुमोदित मदरसे योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने से रह गये। इसके अतिरिक्त अनुदेशकों द्वारा नये मदरसों में बच्चों को 10 माह के मानक के सापेक्ष 4 से 7 माह की ही अधिगम सहायता प्रदान की गयी।	16.12 <u>-9.99</u> 6.13
सोनभद्र	12	4	12	4	सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।	5.19 <u>-5.06</u> 0.13
सुलतानपुर	35	30	34	3	2010-11 में आच्छादित 20 मदरसे 2011-12 में आच्छादित नहीं हुए। 35 अनुमोदित मदरसों में से मात्र 34 मदरसे ही आच्छादित हुए।	11.78 <u>-11.65</u> 0.13
	315	354	309	285		

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

²⁹ फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, महाराजगंज, मरु, तथा उन्नाव ने वांछित सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

परिशिष्ट 2.1.41
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान-पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम के
समुचित क्रियान्वयन न होने का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.9.2)

गणित और विज्ञान की समझ बढ़ाने तथा शिक्षण-अधिगम के लिये वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों एवं शहरी क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान-पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम संचालित किया गया (2015-16) तथा प्रत्येक जनपद को वर्ष 2015-16 में दोनों कार्यक्रमों हेतु प्रत्येक के लिये ₹ 5 लाख प्रदान किया गया। योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्गों यथा-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, शहरी क्षेत्र के वंचित बच्चों एवं बालिकाओं (कुल 20 विद्यालयों) हेतु चयनित पाँच विद्यालय को प्रति वर्ग ₹ 13,000 की दर से (कुल ₹ 65,000) विज्ञान एवं गणित किट के क्रय हेतु सहायता प्रदान की गयी। यद्यपि बाद में प्रत्येक वर्ग के सात विद्यालयों को, प्रति किट ₹ 888/- की दर से प्रति विद्यालय दो गणित किट उपलब्ध कराये जाने हेतु, आदेश को संशोधित कर दिया गया।

नमूना जांच हेतु चयनित जनपदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पायी गयी अनियमितताएँ निम्नवत् थीं:

क्र. सं.	जनपद का नाम	प्राप्त धनराशि (₹ लाख में)	उपभोगित धनराशि (₹ लाख में)	अवशेष धनराशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
पढ़े भारत-बढ़े भारत³⁰					
1.	बहराइच	5.00	0.00	5.00	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
2.	फिरोजाबाद	5.00	3.80	1.20	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
3.	गोरखपुर	5.00	5.00	0.00	धनराशियाँ 2015-16 में उपभोग की जानी थी, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि स्पष्ट रूप से 2016-17 में उपभोग किये जाने हेतु 31.03.2016 को अन्तरित की गयी।
4.	झांसी	5.00	0.00	5.00	पुस्तकालय की स्थापना के लिये स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण धनराशि उपभोग नहीं की जा सकी।
5.	पीलीभीत	5.00	3.60	1.40	दर से प्राप्त होने के कारण धनराशि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं की जा सकी।
6.	रामपुर	5.00	3.28	1.72	कार्यक्रम के अधिकांश घटक आंशिक रूप में लागू किये गए।
7.	सोनभद्र	5.00	0.00	5.00	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
8.	सुलतानपुर	5.00	5.00	0.00	धनराशियाँ 2015-16 में उपभोग की जानी थी, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि स्पष्ट रूप से 2016-17 में उपभोग किये जाने हेतु 31.03.2016 को अन्तरित की गयी।
9.	उन्नाव	5.00	2.30	2.70	कार्यक्रम के अधिकांश घटक नहीं/आंशिक रूप में लागू किये गए।
		45	22.98	22.02	
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान³¹					
1.	बहराइच	5.00	0.00	5.00	धनराशियों का उपभोग नहीं किये जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
2.	फिरोजाबाद	5.00	2.73	2.27	धनराशियों का उपभोग नहीं किये जाने का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
3.	गोरखपुर	5.00	5.00	0.00	धनराशियाँ 2015-16 में उपभोग की जानी थी, किन्तु सम्पूर्ण धनराशि स्पष्ट रूप से 2016-17 में उपभोग किये जाने हेतु 31.03.2016 को अन्तरित की गयी।
4.	झांसी	5.00	0.00	5.00	राज्य परियोजना कार्यालय से गणित किटों की दरों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण
5.	पीलीभीत	5.00	3.35	1.65	राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश में स्पष्टता न होने के कारण गणित किटों हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
6.	रामपुर	5.00	2.71	2.29	कार्यक्रम के अधिकांश घटक आंशिक रूप में लागू किये गए।
7.	सोनभद्र	5.00	0.00	5.00	कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।
8.	सुलतानपुर	5.00	2.90	2.10	राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश में स्पष्टता न होने के कारण गणित किटों हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। निधियों को 31.03.16 को अन्तरित किया गया।
9.	उन्नाव	5.00	3.62	1.38	राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश में स्पष्टता न होने के कारण गणित किटों हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
	योग	45.00	20.31	24.69	

(स्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

³⁰ फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, तथा मऊ द्वारा वांछित सूचनाओं एवं अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

³¹ फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मऊ, तथा उन्नाव द्वारा वांछित सूचनाओं/अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया।

परिशिष्ट 2.1.42

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बाल-अधिकार के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

अनुश्रवण अभिकरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-25(2) यह प्रावधान करती है कि बाल अधिकार से सम्बन्धित कोई भी शिकायत ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति को इसके सदस्य-सचिव (प्रधानाध्यापक) के माध्यम से की जायेगी, जिसकी अपील विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी ³² को की जायेगी। इन शिकायतों का अनुश्रवण बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आनलाईन अनुश्रवण तंत्र में माध्यम से किया जाना था।	428 नमूना चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 359 विद्यालयों में अध्यापको द्वारा शिकायत पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था। दूसरे विद्यालयों में, जहां इस पंजिका का रख-रखाव किया गया था, कोई शिकायत पंजीकृत ³³ नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद में इन शिकायतों के लिये आनलाईन अनुश्रवण तंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(स्रोत: नमूना चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद)

परिशिष्ट 2.1.43

अवधि 2010-16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 7.11 में उल्लिखित निर्धारित बैठकों के मानक के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न वास्तविक बैठकों का विवरण। (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

वर्ष	मानक के अनुसार होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तविक सम्पन्न बैठकों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2010-11	4	2	2	50
2011-12	4	1	3	75
2012-13	4	3	1	25
2013-14	4	2	2	50
2014-15	4	2	2	50
2015-16	4	01	3	75
योग	24	11	13	54

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

³² ग्रामीण और नगरीय मामलों में द्वितीय अपील क्रमशः जिला पंचायत/नगर महापालिका को की जायेगी।

³³ सहायता प्राप्त विद्यालयों एम.एस.लारी इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल महाराजगंज (27 शिकायत), सेठ पूरनमल जयपुरिया जूनियर हाईस्कूल आनन्द नगर, महाराजगंज (30 शिकायत) और श्री चन्द्र गुप्त मौर्य इन्टर कालेज मधुपुर सोनभद्र (60 शिकायत) के प्रकरणों को छोड़कर।

परिशिष्ट 2.1.44

कार्यकारिणी समिति द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू न किये जाने का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

23.03.2011	एजेंडा बिन्दु 3: अवशेष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाये। समिति के संज्ञान में लाया गया कि निर्माण कार्य शासकीय एजेंसी से कराये जाने के निर्देशों के विपरीत, जिलाधिकारियों के स्तर से कतिपय कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को सौंपा गया। विभिन्न जनपदों में 64 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण जिलाधिकारी स्तर से उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को दिया गया था, जिसके सापेक्ष 19 भवन पूर्ण हो गये तथा 45 भवन अपूर्ण है। एजेंसी को विद्यालय भवन पूर्ण करने हेतु निर्देश भी भेजे गये किन्तु कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को आर्बिट्रि निर्माण कार्यों, उनकी अद्यतन प्रगति और निर्माण की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जनपदवार स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तरदायी अधिकारियों तथा एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाये।
01.11.2012	एजेंडा बिन्दु 13: उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक सुविचारित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये। प्रस्ताव का पत्रावली पर परीक्षण कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
05.03.2013	एजेंडा बिन्दु 2: उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड द्वारा अधूरे छोड़े गये कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक सूचनायें जनपदों से प्राप्त कर ली जाये और प्रकरणवार प्रस्ताव शासन को भेजकर निर्णय प्राप्त किया जाय। एजेंडा बिन्दु 4: जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2010 प्राथमिक विद्यालयों तथा 288 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता थी। भूमि की उपलब्धता के आधार पर 1497 प्राथमिक विद्यालय तथा 237 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्ययोजना में प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि भूमि की उपलब्धता न होने के कारण मानक पूरा करने वाली जिन बस्तियों में नवीन विद्यालय प्रस्तावित नहीं किये गये थे, उनमें नवीन विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करा लिया जाय। इन बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।
23.08.2013	एजेंडा बिन्दु 2: उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड द्वारा अधूरे छोड़े गये कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अपूर्ण 41 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निर्माण पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः इसके लिये धनराशि की आवश्यकता हेतु प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड को कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के निर्माण का कार्य सौंपे जाने की परिस्थितियाँ तथा इस एजेंसी को नामित करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के सम्बन्ध में आख्या शासन को प्रस्तुत की जाये।
01.03.2014	एजेंडा बिन्दु 5: माननीय समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तावित एजेंडा पर विचार-विमर्श हुआ। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह प्रकाश में आया कि जनपद प्रतापगढ़ में ₹ 69816358.50 का ऐसा आहरण पाया गया जिसके सम्बन्ध में जनपद स्तर पर न तो कोई अभिलेख प्रस्तुत किये गये और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। समिति द्वारा इंगित किये जाने पर अवगत कराया गया कि वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस प्रकार की गम्भीर वित्तीय अनियमितता का कोई प्रकरण प्रतापगढ़ के अतिरिक्त अन्य किसी जनपद में नहीं पाया गया। विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये: 1. जनपद प्रतापगढ़ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में, अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा तीन दिन के अंदर पत्रावली पर प्रस्तुत किया जाय। एजेंडा बिन्दु 8: शिकायत निवारण प्रणाली – वेब-आधारित हेल्पलाइन विकसित किये जाने सम्बन्धी एजेंडा प्रस्ताव पर समिति का मत था कि इस सम्बन्ध में और अधिक तकनीकी परामर्श एवं विचार विमर्श की आवश्यकता है। समिति द्वारा सर्व सम्मति से इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया और तदनुसार पत्रावली मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

(स्रोत: सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त)

परिशिष्ट 2.1.45

2010-15 के दौरान किये गये शोध अध्ययनों, जिन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, का विवरण।

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शोध/अध्ययन प्रतिवेदन का शीर्षक	स्वीकृति बजट
2011-12		
1	कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों की अधिगम उपलब्धि पर कार्य पुस्तिकाओं के प्रभाव का अध्ययन	5.85
2	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका एवं कार्य-कलापों तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में उनकी प्रभावकारिता का अध्ययन	6.86
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की उत्तम प्रथाओं का अभिलेखन	7.45
4	अधिगम वृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिये पठन एवं अंकगणितीय कौशल विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन	5.36
5	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की किशोरियों के लिये आयोजित जीवन कौशल शिविर के प्रभाव का अध्ययन	6.00
6	उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 4 में अंकगणित और कक्षा 7 में विज्ञान में बच्चों की अधिगम उपलब्धि का सर्वेक्षण	7.18
7	शासकीय और निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयीय सुविधाओं तथा शैक्षिक वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन	13.50
2012-13		
1	यूनिफार्म वितरण योजना और इसका बच्चों के नामांकन तथा उनकी उपस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन	8.14
2	विद्यालयों के अभिलेखों, सम्बन्धित बसावटों के हॉउस-होल्ड सर्वेक्षण तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुप्रयोग द्वारा विद्यालयों के बच्चों के ड्राप-आउट की दर का अध्ययन	9.95
3	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायित अधिगम की स्थिति का अध्ययन	8.50
2013-14		
1	राजकीय तथा निजी विद्यालयों में नामांकन, रुझान तथा प्रभावकारी कारकों का अध्ययन	6.00
2	अल्पसंख्यक बहुल जनपदों में अल्पसंख्यक बालिकाओं तथा बालकों के नामांकन, संक्रमण, ठहराव तथा ड्राप-आउट की दर का अध्ययन	7.70
3	हाउस-होल्ड सर्वेक्षण 2012-13 का नमूना अध्ययन	6.98
2014-15		
1	रायबरेली, बलरामपुर, गाजियाबाद, ललितपुर तथा वाराणसी जनपदों में प्रारम्भ किये गये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रभावकारिता तथा उसमें सुधार के लिये सुझाव का अध्ययन	7.30
2	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समेकन पूर्व शिविर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने तथा ठहराव के मूल्यांकन का अध्ययन	3.62
3	शासकीय और अन्य संगठनों द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का, प्रशासनिक, सुरक्षा, साफ-सफाई तथा शैक्षिक पहलुओं के आच्छादन सहित, मूल्यांकन	9.90
4	विद्यालय प्रबन्ध समितियों के कार्यों का मूल्यांकन	5.85
5	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के ड्राप आउट की दर के कारणों का लिंगवार, जातिवार, अल्पसंख्यक, कक्षा वार अध्ययन	8.25
योग		134.39

(स्रोत: राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट 2.1.46

**विकास खण्ड तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा मानकों के सापेक्ष
किये गये अनुश्रवण का विवरण**
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.10)

वर्ष	राज्य में शिक्षा विभाग के कुल विद्यालयों की संख्या	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के सहायक समन्वयकों द्वारा कभी निरीक्षण न किये गये विद्यालयों की संख्या		न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा कभी निरीक्षण न किये गये विद्यालयों की संख्या		विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के सहायक समन्वयकों/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा कभी निरीक्षण न किये गये विद्यालयों की संख्या	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2010-11	1,47,521	88,706	60	72,492	49	68,836	47
2011-12	1,50,766	1,00,326	67	84,382	56	81,052	54
2012-13	1,58,402	57,131	36	48,508	31	40,917	26
2013-14	1,58,013	38,437	24	30,022	19	23,019	14
2014-15	1,61,038	44,996	28	33,765	21	27,789	17
2015-16	1,61,562	71,549	44	60,091	37	55,837	35

(स्रोत: एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट 2.2.1

भारत सरकार द्वारा मदवार स्वीकृत धनराशि
एवं प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.3)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मद	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित धनराशि (2013-16)	कुल व्यय
1	डाटा सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर	125.00	0.00	0.00
2	राज्य मुख्यालय खाद्य एवं रसद कार्यालय (एफ एण्ड सी एस)	6.23	3.74	3.74
3	जिला खाद्य एवं रसद कार्यालय	272.63	384.85	268.55
4	ब्लाक खाद्य एवं रसद कार्यालय	1,622.20	1,689.81	1,135.40
5	राज्य गोदाम	1,096.55	863.00	510.43
6	परियोजना प्रबंधन इकाई	136.80	45.60	45.60
7	प्रशिक्षण	116.50	124.55	17.29
8	तकनीकी सहायक खाद्य एवं रसद कार्यालय	2,500.50	1,514.47	1,316.45
9	अनुप्रयोग सहायक	114.00	49.18	49.18
10	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लेखापरीक्षा	10.00	0.98	0.98
11	एस एम एस लागत	78.67	0.00	0.00
12	जागरूकता लागत	187.17	42.20	9.72
13	टोल फ्री काल सेंटर	57.25	62.68	40.21
14	पोर्टल	20.00	0.00	0.00
15	मूल्यांकन	6.00	0.00	0.00
16	डिजिटाइजेशन	3,528.85	4,105.35	1,764.72
17	वार्षिक अनुरक्षण संविदा	974.52	752.57	237.77
	योग	10,852.87	9,638.98	5,400.04
		अर्थात् ₹ 108.53 करोड़	अर्थात् ₹ 96.39 करोड़	अर्थात् ₹ 54 करोड़

(स्रोत: प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 2.2.2

जिलावार धनराशि का आवंटन एवं व्यय, प्रतिशत व्यय के साथ
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.3)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिलों के नाम	कुल आवंटन	कुल व्यय	प्रतिशत व्यय
60 प्रतिशत से कम व्यय				
1	शाहजहांपुर	139.46	28.88	20.71
2	कानपुर नगर	209.02	70.75	33.85
3	बांदा	94.64	34.41	36.36
4	मऊ	125.62	49.65	39.52
5	गोरखपुर	147.48	58.68	39.79
6	इलाहाबाद	326.70	130.64	39.99
7	कानपुर देहात	120.83	49.96	41.35
8	गाजीपुर	228.44	95.22	41.68
9	औरैया	86.20	37.59	43.61
10	शामली	69.30	31.25	45.09
11	रायबरेली	202.58	91.40	45.12
12	कासगंज	90.50	41.11	45.43
13	इटावा	91.60	41.75	45.58
14	सीतापुर	250.93	114.64	45.69
15	चन्दौली	132.83	60.85	45.81
16	बलरामपुर	103.75	47.86	46.13
17	फैजाबाद	141.93	66.61	46.93
18	जौनपुर	266.28	126.56	47.53
19	बहराइच	137.68	66.67	48.42
20	सहारनपुर	208.17	101.42	48.72
21	आजमगढ़	201.07	99.68	49.57
22	सम्भल	77.35	38.54	49.83
23	लखनऊ	144.77	73.58	50.83
24	वाराणसी	180.48	91.89	50.91
25	महाराजगंज	136.50	69.55	50.95
26	सुलतानपुर	154.81	78.94	50.99
27	देवरिया	177.67	90.94	51.18
28	बागपत	82.20	42.44	51.63
29	रामपुर	106.16	54.90	51.71
30	बदायूं	179.97	93.32	51.85
31	फिरोजाबाद	140.63	75.55	53.72
32	कौशाम्बी	106.10	57.15	53.86
33	हाथरस	89.32	48.28	54.05
34	मथुरा	120.19	65.53	54.52
35	पीलीभीत	112.61	61.39	54.52
36	सोनभद्र	98.85	54.11	54.74
37	गोण्डा	156.81	88.92	56.71
38	उन्नाव	152.71	86.80	56.84
39	ललितपुर	61.98	35.69	57.58
40	बिजनौर	151.72	88.69	58.46

41	गाजियाबाद	92.95	54.86	59.02
42	फर्रुखाबाद	70.20	41.46	59.06
43	मुरादाबाद	100.32	59.35	59.16
44	चित्रकूट	47.28	28.17	59.58
45	आगरा	192.50	114.74	59.61
46	बाराबंकी	151.81	90.83	59.83
47	भदोही	80.21	48.00	59.84
योग		6,541.11	3,179.20	48.60

डिजिटाइजेशन शीर्ष के अर्न्तगत 2013-16 में अभ्यर्पित धनराशि

क्र. सं.	जिला	आवंटन 2013-16	व्यय 2013-16	बचत	प्रतिशत व्यय
1	बहराइच	59.44	5.10	54.34	8.58
2	आजमगढ़	82.79	9.15	73.64	11.05
3	शाहजहांपुर	58.12	7.14	50.98	12.28
4	मऊ	47.53	7.00	40.53	14.73
5	कानपुर नगर	103.21	21.00	82.21	20.35
6	शामली	39.13	8.13	31.00	20.78
7	कानपुर देहात	29.54	6.17	23.37	20.89
8	औरैया	25.39	5.50	19.89	21.66
9	गोरखपुर	70.65	15.53	55.12	21.98
10	बांदा	32.54	8.00	24.54	24.59
11	सोनभद्र	47.00	12.33	34.67	26.23
12	गाजीपुर	105.19	28.36	76.83	26.96
13	फर्रुखाबाद	32.61	9.50	23.11	29.13
14	सीतापुर	95.13	28.46	66.67	29.92
15	बाराबंकी	68.57	20.84	47.73	30.39
16	खीरी	89.95	27.84	62.11	30.95
17	फतेहपुर	49.55	15.34	34.21	30.96
18	कासगंज	31.76	9.93	21.83	31.27
19	बलिया	68.20	21.81	46.39	31.98
20	गोण्डा	70.94	22.90	48.04	32.28
21	ललितपुर	24.66	8.09	16.57	32.81
22	जौनपुर	95.25	31.87	63.38	33.46
23	फैजाबाद	51.32	17.45	33.87	34.00
24	इलाहाबाद	191.32	66.80	124.52	34.92
25	सिद्धार्थ नगर	31.14	11.00	20.14	35.32
26	बलरामपुर	35.71	12.64	23.07	35.40
27	कन्नौज	23.52	8.50	15.02	36.14
28	रामपुर	65.93	24.07	41.86	36.51
29	हाथरस	36.28	13.54	22.74	37.32
30	इटावा	29.21	10.94	18.27	37.45
31	भदोही	45.22	17.03	28.19	37.66
32	आगरा	106.74	40.97	65.77	38.38
33	सुलतानपुर	38.62	14.97	23.65	38.76
34	अलीगढ़	76.88	30.80	46.08	40.06
35	मैनपुरी	43.04	17.28	25.76	40.15

36	कुशीनगर	64.60	25.98	38.62	40.22
37	झांसी	50.40	20.35	30.05	40.37
38	मिर्जापुर	47.18	19.07	28.11	40.42
39	चन्दौली	53.58	22.31	31.27	41.64
40	चित्रकूट	21.49	8.96	12.53	41.69
41	मथुरा	73.89	31.02	42.87	41.99
42	देवरिया	58.74	25.71	33.03	43.77
43	बिजनौर	86.39	38.41	47.98	44.46
44	फिरोजाबाद	57.87	26.13	31.74	45.15
45	हापुड़	30.49	13.79	16.70	45.23
46	वाराणसी	106.08	49.03	57.05	46.22
47	बुलन्दशहर	78.92	36.54	42.38	46.30
48	महाराजगंज	36.70	17.27	19.43	47.06
49	बागपत	27.81	13.13	14.68	47.21
50	गाजियाबाद	63.69	30.39	33.30	47.72
51	सहारनपुर	97.08	47.96	49.12	49.40
52	श्रावस्ती	18.17	9.06	9.11	49.86
53	लखनऊ	72.24	36.15	36.09	50.04
54	बरेली	93.41	47.19	46.22	50.52
55	पीलीभीत	47.81	25.13	22.68	52.56
56	बदायूं	64.09	33.78	30.31	52.71
57	मुरादाबाद	46.07	24.62	21.45	53.44
58	अम्बेडकर नगर	38.82	21.74	17.08	56.00
59	रायबरेली	59.32	33.66	25.66	56.74
60	कौशाम्बी	38.63	22.32	16.31	57.78
61	महोबा	19.93	11.81	8.12	59.26
62	अमेठी	36.30	23.19	13.11	63.89
63	जी.बी. नगर	28.03	18.28	9.75	65.22
64	संत कबीर नगर	28.12	19.33	8.79	68.74
65	मेरठ	56.25	42.35	13.90	75.29
66	बस्ती	43.12	32.90	10.22	76.30
67	जालौन/उरई	29.29	23.24	6.05	79.34
68	हरदोई	47.67	38.78	8.89	81.35
69	अमरोहा	26.01	21.63	4.38	83.16
70	एटा	20.14	16.78	3.36	83.32
71	सम्भल	34.36	29.90	4.46	87.02
72	मुजफ्फर नगर	52.38	45.61	6.77	87.08
73	उन्नाव	66.85	62.05	4.80	92.82
74	हमीरपुर	13.82	13.91	-0.09	100.65
75	प्रतापगढ़	67.53	69.26	-1.73	102.56
योग		4,105.35	1,764.70	2,340.65	42.99

(स्रोत: प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 2.2.3
हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर सामग्रियों की अधिक खरीद
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.7)

क्र. सं.	जिला	सामग्री	दिशा निर्देश के अनुसार सामग्री की अपेक्षित संख्या	क्रय सामग्री की संख्या	क्रय आधिक्य की संख्या	कर सहित इकाई दर ₹ में	अधिक भुगतान ₹ में
1	इलाहाबाद	लैपटाप	22	24	02	46,926.08	93,852.16
		लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	45	47	02	13,300.00	26,600.00
2	मिर्जापुर	लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	27	39	12	15,200.00	1,82,400.00
3	कानपुर नगर	लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	26	36	10	11,979.00	1,19,790.00
4	लखनऊ	डेस्कटाप	21	26	05	30,082.50	1,50,412.50
		लैपटाप	10	11	01	35,175.00	35,175.00
		लेजर/डाटमेट्रिक प्रिंटर	21	33	12	8,925.00	1,07,100.00
		एम एस आफिस लाइसेंस	31	37	06	11,340.00	68,040.00
योग							7,83,369.66
अर्थात् ₹ 7.83 लाख							

(स्रोत: नमूना जाँच जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 2.2.4
जिला, ब्लॉक और गोदामों में हार्डवेयर सामग्रियों का विलम्ब से वितरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.8.7)

क्र. सं.	जिला	आपूर्ति आदेश दिनांक	आपूर्ति तिथि	आपूर्ति में विलम्ब (दिवस में)	ब्लॉक में वितरण की तिथि	विलम्ब (माह में)	गोदाम में वितरण की तिथि	विलम्ब (माह में)
1	इलाहाबाद	21/03/15	21/03/15	-	17/12/15 से 06/01/16	9	04/01/16 से 07/05/16	13
2	वाराणसी	17/03/15	14/05/15 से 18/05/15	50	04/06/15 से 22/04/16	11	16/05/15	
3	मिर्जापुर	20/03/15	30/03/15	-	14/07/15 से 28/07/15	3	10/02/16	10
4	कानपुर नगर	25/03/15	04/06/15 से 10/07/15	95	अवितरित		अवितरित	
5	अलीगढ़	11/03/15	17/04/15 से 02/06/15	71	अवितरित		अवितरित	
6	चित्रकूट	30/03/15	16/04/15	7	अवितरित		अवितरित	
7	गाजियाबाद	11/03/15	17/04/15 से 06/05/15	45	08/06/15 से 18/08/15	3	09/06/15	1
8	लखनऊ	26/03/15	01/09/15 और 14/10/15	188	अवितरित		अवितरित	

(स्रोत: नमूना जाँच जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 2.2.5

नमूना जांच जिलों में राज्य द्वारा आवंटित खाद्यान्न
एवं जिलों द्वारा आवंटित खाद्यान्नों में अन्तर
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.9.3)

(मीट्रिक टन में)

क्र. सं.	जिला	राज्य स्तर पर आवंटित खाद्यान्न की मात्राएँ	जिला स्तर पर आवंटित खाद्यान्न की मात्राएँ	अंतर
न्यून आवंटन				
1	मिर्जापुर	10108.17	10068.79	39.38
2	लखनऊ	14016.94	13907.28	109.66
3	वाराणसी	14081.55	13885.11	196.44
4	अलीगढ़	13729.05	13708.16	20.89
5	इलाहाबाद	22787.54	22673.76	113.78
6	कानपुर नगर	16706.05	16611.29	94.76
योग		91429.30	90854.39	574.91
आधिक्य आवंटन				
7	चित्रकूट	4393.24	4396.31	-3.07
8	गाजियाबाद	9641.21	9641.27	-0.06
योग		14034.45	14037.58	-3.13

(स्रोत: प्रदेश सरकार और विभागीय वेब पोर्टल से प्राप्त की गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट 2.2.6

लाभार्थियों के मोबाइल पर एस.एम.एस. अलर्ट
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.2.9.4)

(संख्या में)

क्र. सं.	जिला	माह की रिपोर्ट	एस.एम.एस. अलर्ट के लिए प्राप्त किये गये अनुरोध	अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में संग्रहित किये गये मोबाइल नम्बर	प्रेषित एस.एम.एस. अलर्ट
1	इलाहाबाद	09/2015	1,52,599	44,709	6,051
2	चित्रकूट	02/2016	11,545	8,166	3,020
3	गाजियाबाद	02/2016	1,99,680	58,332	58,332
4	कानपुर नगर	02/2016	3,13,911	1,61,967	0
5	लखनऊ	02/2016	56,204	53,389	0
6	वाराणसी	01/2016	5,07,049	28,882	13,903
योग			12,40,988 अर्थात् 12.41 लाख	3,55,445 अर्थात् 3.55 लाख	81,306 अर्थात् 0.81 लाख

(स्रोत: नमूना जाँच जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट 3.1.1

चयनित जनपदों में प्रपत्र-बी में पूर्ण सूचना न उपलब्ध कराना
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.2)

क्र. सं.	खाद्य कारोबार कर्ताओं का नाम	लाईसेंस संख्या	निर्गमन की तिथि
1.	श्री राइस मिल्स, सैहारी, लखीमपुर खीरी	12714068000219	10.08.14
2.	श्रीमती सीमा गुप्ता, लखीमपुर खीरी	12714068000183	29.07.14
3.	कवल साहनी, लखीमपुर खीरी	12714068000116	06.07.14
4.	अनुभव गुप्ता, लखीमपुर खीरी	12714068000065	18.06.14
5.	मेसर्स शिव पार्वती, लखीमपुर खीरी	12714068000285	26.09.14
6.	नरेश कुमार साहनी, लखीमपुर खीरी	12714068000274	19.09.14
7.	मेसर्स अशोक शुगर मिल, लखीमपुर खीरी	12714068000288	26.09.14
8.	श्रीमती सारिका गुप्ता, लखीमपुर खीरी	12714068000144	18.07.14
9.	पवन कुमार जायसवाल, हाथरस	12714057000063	31.03.14
10.	श्याम गट्टानी, हाथरस	12714057000076	31.03.14
11.	राधेश्याम तलवार, हाथरस	12714057000077	31.03.14
12.	पवन कुमार तलवार, हाथरस	12714057000069	31.03.14
13.	गिर्राज किशोर, हाथरस	12714057000068	31.03.14
14.	प्रमोद कुमार, हाथरस	12714057000066	31.03.14
15.	विष्णु स्वरूप, हाथरस	12714057000067	31.03.14
16.	गौरव बन्सल, हाथरस	12714057000068	31.03.14
17.	आदित्येन्द्र कुमार, हाथरस	12714057000001	25.01.14
18.	सत्या शिव साई फूड प्रा0 लि0, हाथरस	12714057000022	03.02.14

(स्रोत: अभिहित अधिकारी, लखीमपुर खीरी और हाथरस)

परिशिष्ट 3.1.2

चयनित जनपदों में अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं के फेल सैम्पलों की संख्या
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.5)

क्र. सं०	जनपद का नाम	अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं की संख्या	अपंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ताओं के फेल सैम्पलों की संख्या
1	बदायूँ	70	25
2	चन्दौली	08	08
3	गौतमबुद्ध नगर	74	69
4	हाथरस	70	68
5	लखीमपुर खीरी	113	113
	योग	335	283

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.1.3

केन्द्रीय लाईसेंस शुगर इकाई द्वारा मोलाईसेस हेतु लाईसेंस
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.5)

क्र. सं०	खाद्य कारोबार कर्ताओं का नाम (शुगर इकाई)	लाईसेंस संख्या	निर्गमन की तिथि
1	डीएससीएल शुगर अजबापुर,, लखीमपुर खीरी	10012051000184	01.04.2012
2	कुम्भी चीनी मिल, लखीमपुर खीरी	10012051000216	01.04.2012
3	बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०, लखीमपुर खीरी	10012051000189	01.04.2012
4	बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०, पलिया कलॉ, लखीमपुर खीरी	10012051000190	01.04.2012
5	सेकसरियाँ बिसवाँ, सीतापुर	10012051000346	01.04.2012
6	डालमिया चीनी मिल एण्ड डिस्टलरी, जवाहरपुर, रामकोट, सीतापुर	10014051001219	01.04.2012
7	अवध शुगर मिल लि०, हरगॉव, सीतापुर	10012051000301	01.04.2012
8	डालमिया चीनी मिल, रामगढ़, सीतापुर	10012051001258	01.04.2012
9	डालमिया चीनी मिल, जवाहरपुर, सीतापुर	10012051000261	01.04.2012

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.1.4

10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये पंजीकरण एवं लाईसेंस धारकों का सावधिक निरीक्षण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.1)

वर्ष	पंजीकरण				लाईसेंस			
	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के न किये गये वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण न किये जाने का प्रतिशत	लाईसेंसी खाद्य कारोबार कर्ताओं की संख्या	लाईसेंसी खाद्य कारोबार कर्ताओं के वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	लाईसेंसी खाद्य कारोबार कर्ताओं के न किये गये वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण न किये जाने का प्रतिशत
2011-12	00	00	00	00	94	60	34	36
2012-13	11,118	4,584	6,534	59	4,126	2,854	1,272	31
2013-14	27,190	13,986	13,204	49	3,037	1,853	1,184	39
2014-15	32,092	6,050	26,042	81	4,481	2,148	2,333	52
2015-16	27,249	8,418	18,831	69	5,651	3,067	2,584	46
योग	97,649	33,038	64,611	66	17,389	9,982	7,407	43

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये पंजीकरण धारकों का सावधिक निरीक्षण

वर्ष	जिले का नाम	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के वार्षिक निरीक्षणों की संख्या	पंजीकृत खाद्य कारोबार कर्ताओं के न किये गये वार्षिक निरीक्षणों की संख्या
2012-13	बदायूँ	1,068	446	622
2012-13	चन्दौली	164	164	0
2012-13	गौतमबुद्धनगर	427	252	175
2012-13	रायबरेली	1,532	845	687
2012-13	वाराणसी	2,105	210	1895
2012-13	आगरा	1,295	0	1295
2012-13	हाथरस	1,060	1060	0
2012-13	कानपुर नगर	0	0	0
2012-13	लखीमपुर खीरी	1,812	1607	205
2012-13	सीतापुर	1,655	0	1655
	योग	11,118	4584	6534
2013-14	बदायूँ	1,495	507	988
2013-14	चन्दौली	3,011	3011	0
2013-14	गौतमबुद्धनगर	738	362	376
2013-14	रायबरेली	1,391	942	449
2013-14	वाराणसी	494	48	446
2013-14	आगरा	6,075	6075	0
2013-14	हाथरस	1,497	1497	0
2013-14	कानपुर नगर	8,941	0	8941
2013-14	लखीमपुर खीरी	1,644	1544	100
2013-14	सीतापुर	1,904	0	1904
	योग	27,190	13986	13204

2014-15	बदायूँ	1,693	618	1075
2014-15	चन्दौली	1,409	1409	0
2014-15	गौतमबुद्धनगर	2,262	1174	1088
2014-15	रायबरेली	175	105	70
2014-15	वाराणसी	204	25	179
2014-15	आगरा	4,202	190	4012
2014-15	हाथरस	1,573	1573	0
2014-15	कानपुर नगर	15,277	0	15277
2014-15	लखीमपुर खीरी	2,660	956	1704
2014-15	सीतापुर	2,637	0	2637
योग		32,092	6050	26042
2015-16	बदायूँ	1,367	585	782
2015-16	चन्दौली	1,143	1143	0
2015-16	गौतमबुद्धनगर	2,537	1241	1296
2015-16	रायबरेली	2,440	2398	42
2015-16	वाराणसी	4,186	425	3761
2015-16	आगरा	2,915	102	2813
2015-16	हाथरस	1,349	1349	0
2015-16	कानपुर नगर	6,083	0	6083
2015-16	लखीमपुर खीरी	2,949	1175	1774
2015-16	सीतापुर	2,280	0	2280
योग		27,249	8418	18831

10 चयनित जनपदों में वर्षवार निर्गत किये गये लाईसेंस धारकों का सावधिक निरीक्षण

वर्ष	जिले का नाम			
2011-12	बदायूँ	0	0	0
2011-12	चन्दौली	21	0	21
2011-12	गौतमबुद्धनगर	11	11	0
2011-12	रायबरेली	55	49	6
2011-12	वाराणसी	7	0	7
2011-12	आगरा	0	0	0
2011-12	हाथरस	0	0	0
2011-12	कानपुर नगर	0	0	0
2011-12	लखीमपुर खीरी	0	0	0
2011-12	सीतापुर	0	0	0
योग		94	60	34
2012-13	बदायूँ	230	117	113
2012-13	चन्दौली	134	0	134
2012-13	गौतमबुद्धनगर	488	488	0
2012-13	रायबरेली	47	38	9
2012-13	वाराणसी	1,073	510	563
2012-13	आगरा	1,303	1,303	0
2012-13	हाथरस	336	336	0

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

2012-13	कानपुर नगर	0	0	0
2012-13	लखीमपुर खीरी	204	62	142
2012-13	सीतापुर	311	0	311
योग		4,126	2,854	1,272
2013-14	बदायूँ	134	76	58
2013-14	चन्दौली	69	0	69
2013-14	गौतमबुद्धनगर	625	625	0
2013-14	रायबरेली	45	36	9
2013-14	वाराणसी	307	157	150
2013-14	आगरा	315	315	0
2013-14	हाथरस	401	401	0
2013-14	कानपुर नगर	534	0	534
2013-14	लखीमपुर खीरी	293	243	50
2013-14	सीतापुर	314	0	314
योग		3,037	1,853	1,184
2014-15	बदायूँ	71	45	26
2014-15	चन्दौली	99	0	99
2014-15	गौतमबुद्धनगर	1,056	567	489
2014-15	रायबरेली	152	144	8
2014-15	वाराणसी	108	55	53
2014-15	आगरा	1,386	915	471
2014-15	हाथरस	343	343	0
2014-15	कानपुर नगर	604	0	604
2014-15	लखीमपुर खीरी	318	78	240
2014-15	सीतापुर	344	1	343
योग		4,481	2,148	2,333
2015-16	बदायूँ	82	47	35
2015-16	चन्दौली	96	15	81
2015-16	गौतमबुद्धनगर	1,192	1,192	0
2015-16	रायबरेली	128	119	9
2015-16	वाराणसी	939	470	469
2015-16	आगरा	1,224	876	348
2015-16	हाथरस	234	234	0
2015-16	कानपुर नगर	1,008	0	1,008
2015-16	लखीमपुर खीरी	384	106	278
2015-16	सीतापुर	364	8	356
योग		5,651	3,067	2,584

परिशिष्ट 3.1.5

विश्लेषण हेतु जिलेवार लिये गये सैम्पलों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.2)

क्र. सं.	जिला	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		कुल 4 वर्ष	
		खाद्य कारोबारकर्ता (पंजी0+लाई0)	लिये गये सैम्पल	कुल खाद्य कारोबारकर्ता (पंजी0+लाई0)	लिये गये कुल सैम्पल						
1.	आगरा	2,598	188	6,390	261	5,588	294	4,139	499	18,715	1,242
2.	बदायूँ	1,298	196	1,629	186	1,764	197	1,449	223	6,140	802
3.	चन्दौली	298	79	3,080	61	1,508	113	1,239	124	6,146	377
4.	गौतमबुद्ध नगर	915	255	1,363	208	3,318	367	3,729	420	9,336	1,250
5.	हाथरस	1,396	111	1,898	107	1,916	167	1,583	199	6,793	584
6.	कानपुर नगर	0	221	9,475	169	15,881	406	7,091	508	32,447	1,304
7.	लखीमपुर खीरी	2,016	146	1,937	178	2,978	170	3,333	208	10,264	702
8.	रायबरेली	1,579	131	1,436	166	327	164	2,568	205	5,965	666
9.	सीतापुर	1,966	163	2,218	202	2,981	157	2,644	144	9,809	666
10.	वाराणसी	3,178	116	801	191	312	217	5,125	302	9,423	826
योग		15,244	1,606	30,227	1,729	36,573	2,252	32,900	2,832	1,15,038	8,419
		प्रतिशत में	13%		6%		6%		9%		7%

(स्रोत: सम्बन्धित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.1.6

कम फीस लिये जाने का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.4)

प्रयोगशाला का नाम	रेलवे के सैम्पल			अन्य के सैम्पल			कुल कम ली गयी फीस (4+7)-(3+6)	
	सैम्पलों की संख्या	ली गयी फीस प्रति सैम्पल ₹100	ली जाने वाली फीस प्रति सैम्पल ₹1,000	सैम्पलों की संख्या	ली गयी फीस प्रति सैम्पल ₹100	ली जाने वाली फीस प्रति सैम्पल ₹1,000		
1	2	3	4	5	6	7	8	
लखनऊ	272	27,200	2,72,000	1,006	2,01,200	10,06,000	10,49,600	
आगरा	शून्य	शून्य	शून्य	64	12,800	64,000	51,200	
वाराणसी	28	2,800	28,000	69	13,800	69,000	80,400	
योग	300	30,000	3,00,000	1,139	2,27,800	1,139,000	11,81,200	
							₹ लाख में	11.81
							₹ करोड़ में	0.12

(स्रोत: राजकीय प्रयोगशाला)

परिशिष्ट 3.1.7

चयनित राजकीय प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.5.3)

राजकीय प्रयोगशाला का नाम	क्र. सं.	उपकरण का नाम	राजकीय प्रयोगशाला का नाम	क्र. सं.	उपकरण का नाम
वाराणसी	1	डिजिटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	लखनऊ	1	डिजिटल सेन्ट्रीफ्यूज मशीन
	2	ग्री वी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर		2	ग्री वी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
	3	एटामिक एब्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर		3	एटामिक एब्सार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
	4	हाई परफारमेन्स लिक्विड क्रोमैटोग्राफ		4	हाई परफारमेन्स लिक्विड क्रोमैटोग्राफ
	5	गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी		5	डाइजेस्ट यूनिट चैम्बर
	6	आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी		6	डीन स्टार्क अप्रैटस
	7	डिजिटल बी0 आर0 मशीन		7	आल माइक्रोबायलाजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स
	8	वाटर प्युरीफाइंग सिस्टम		8	माइस्चर बैलेंस
	9	माइस्चर बैलेंस		9	डिजिटल हाइग्रोमीटर
	10	डीप फ्रीजर		10	फ्लैश प्वाइन्ट अप्रैटस
	11	डिजिटल हाइग्रोमीटर		11	आटो टाईट्रेटर
				12	कन्डक्टिविटी मीटर
				13	मल्टीपल डाईजेशन और टाईट्रेटर यूनिट
				14	अल्ट्रा सोनीकेटर
				15	डिजिटल माइक्रोस्कोप विथ कम्प्यूटर
				16	मेल्टिंग प्वाइन्ट अप्रैटस
				17	इलेक्ट्रानिक बैलेंस
				18	रोटेटोरी शेकर
				19	रेफ्रीजेरेटर
				20	लैब ग्रिन्डिंग मिल
				21	एचपीटीएलसी
				22	आइसीपीएम एस
				23	जीसीएमएस
				24	टीडीएस मीटर
				25	अप्रैटस फार वोलाटाइल आयल
				26	मल्टीपल शालेट अप्रैटस

(स्रोत: राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला वाराणसी और लखनऊ)

परिशिष्ट 3.1.8

रेफरल लैब कोलकाता को प्रेषित प्रकरण जिनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.6.2)

क्र. सं.	कोड सं०	खाद्य कारोबारकर्ता का नाम	सैम्पल का विवरण	तिथि जब रेफरल लैब को प्रेषित की गयी	27.06.2016 तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं
आगरा					
1	ए० जी०-0353/FSSAI-2015	सुरेश चन्द्र बंसल, बंसल ट्रेडर्स	मिर्च पाउडर	23.01.2016	156
2	ए० जी०-164/FSSAI-2015-16	जीतेन्द्र कुमार, देवयानी इन्टरनेशनल लि०	हॉट एण्ड स्पाइसी मैरीनेड	07.01.2016	172
3	ए० जी०-0415/FSSAI-2015/RC-45	मुकेश चन्द्र कुशवाहा	कटी मूँगफली	01.02.2016	147
4	ए० जी०-218/FSSAI-2015-16/MFSO-20	मनोज अग्रवाल	वेजेटेबिल सॉस (अनमोल ब्रान्ड)	29.02.2016	119
5	ए० जी०-212/FSSAI-2015-16 MFSO-19	मनोज अग्रवाल	वेजेटेबिल सॉस	29.02.2016	119
6	ए० जी०-313/FSSAI-2015-16/MS-37	भीमसेन	मिक्स्ड मिल्क	08.03.2016	111
7	Central Mobile Squad/ए० जी०-380/FSSAI-2015-16	संजीव मिश्रा, सनराइज फूड प्रा०लि०	सनराइज सब्जी मसाला	08.03.2016	111
8	ए० जी०-307/FSSAI-2015-16/MFSO-29	लव कुमार	कोमल लालीपाप	14.03.2016	105
9	ए० जी०-427/FSSAI-2015-16/MS-46	नितिन अग्रवाल	धनिया पाउडर	22.03.2016	97

(स्रोत: अभिहीत अधिकारी, आगरा)

परिशिष्ट 3.1.9

अभिहीत अधिकारियों द्वारा जब्त की गयी सामग्री का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.7.1)

क्र. सं.	जिले का नाम	जब्ती का वर्ष	सामग्री का नाम	खाद्य सामग्री की मात्रा	खाद्य सामग्री का मूल्य
1	हाथरस	2013-14	ग्लूकोज पाउडर	275 कि.ग्रा.	8,250
2			एस.एम.पी	100 कि.ग्रा.	17,500
3			केमिकल आयल	665 लीटर	1,13,000
4			डिटर्जेंट पाउडर	24 कि.ग्रा.	1,440
5			पोस्टर कलर	15 कि.ग्रा.	900
6			पाम कार्नेल आयल	1000 कि.ग्रा.	60,000
7			पाम आयल	60 कि.ग्रा.	3,600
8			डब्लू.पी.पी.	1440 कि.ग्रा.	2,52,000
9			एस.एम.पी.	2725 कि.ग्रा.	15,26,875
10			ग्लूकोज पाउडर	32250 कि.ग्रा.	9,67,500
11		केमिकल आयल	1800 लीटर	3,60,000	
12		2014-15	वेजिटेबिल आयल	540 लीटर	6,450
13			सोया सॉस	200 कि.ग्रा.	3,600
14			कान्टीनेन्टल सॉस	18 पेटी	5,400
15			स्टार्च	200 कि.ग्रा.	5,400
16			सोया सॉस	85 कि.ग्रा.	2,125
17			वेजिटेबिल सॉस	87 कि.ग्रा.	1,218
18			ग्लूकोज पाउडर	7500 कि.ग्रा.	13,12,500
19			मेग स्टार्च	7500 कि.ग्रा.	3,75,000
20			लिविड ग्लूकोज	23100 कि.ग्रा.	9,24,000
21			एस.एम.पी.	165 कि.ग्रा.	28,775
22	लखीमपुर खीरी	2014-15	मस्टर्ड आयल	60 टीन	90,000
योग					60,65,533
(लाख ₹ में)					60.66

(स्रोत:अभिहीत अधिकारी, हाथरस और लखीमपुर खीरी)

परिशिष्ट 3.1.10
चयनित जिलों में सलाहकार समिति की बैठक
 (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.8.1)

क्र. सं.	जिले का नाम	क्या कमेटी का गठन हुआ है	बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि
1	आगरा	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
2	बदायूँ	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
3	कानपुर नगर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सीतापुर	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	गौतमबुद्धनगर	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
6	लखीमपुर खीरी	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
7	रायबरेली	हाँ	01	16.01.2014
8	हाथरस	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	चन्दौली	हाँ	शून्य	बैठक नहीं हुई
10	वाराणसी	हाँ	10	04.05.2011, 11.11.2011, 13.03.2012, 17.07.2012, 15.11.2012, 16.05.2013, 20.10.2013, 20.04.2014, 12.10.2014, 29.02.2015

(स्रोत: आयुक्त कार्यालय और चयनित जिलों के अभिहीत अधिकारी)

परिशिष्ट 3.2.1

भौतिक प्रगति सुनिश्चित किये बिना जारी किये गए निधियों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.2.3)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुवर्ती किश्तें (₹ करोड़ में)	माह जिनमें अनुवर्ती किश्तें दी गईं	माह जिनमें कार्य आरम्भ हुआ	भौतिक प्रगति
1	बलिया में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण	5.24	1/2015	11/2014	शून्य
2	बलिया में 4 न्यायालय कक्ष के भवन का निर्माण	2.54	1/2015	11/2014	शून्य
3	गौतम बुद्ध नगर में 17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	3.60	3/2008 से 3/2009	02/2010	शून्य
योग		11.38			

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2.2

अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय राजस्व में जमा नहीं किये जाने का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.2.3)

(₹ लाख में)

वर्ष	जनपद	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	अर्जित ब्याज	जमा किया गया ब्याज	अवशेष
2012-13	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	4.37	0	4.37
2013-14	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	9.29	0	9.29
2014-15	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	14.48	0	14.48
2015-16	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं आई डी बी आई	60113242617 एवं 1029104000030524	10.11	0	10.11
2013-14	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	519702010008514	5.41	0	5.41
2014-15	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	519702010008514	14.37	0	14.37
2015-16	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	519702010008514	17.89	0	17.89
2014-15	चित्रकूट	टाइप-V के 10 आवास	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद बैंक	51970201000997 एवं 50268196802	2.56	0	2.56
2015-16	चित्रकूट	टाइप- V के 10 आवास	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं इलाहाबाद बैंक	51970201000997 एवं 50268196802	2.57	0	2.57
2011-12	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में टाइप- IV के 2 आवास	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005144	0.01	0	0.01
2012-13	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में टाइप- IV के 2 आवास	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005144	0.006	0	0.006
2013-14	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में टाइप- IV के 2 आवास	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005144	0.0002	0	0.0002
2011-12	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005151	0.03	0	0.03
2012-13	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005151	0.07	0	0.07
2013-14	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1592151005151	0.005	0	0.005

2012-13	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बंधित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50103801810	2.45	0	2.45
2013-14	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बंधित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50103801810	0.66	0	0.66
2014-15	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बंधित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50206454029	0.4	0	0.4
2015-16	लखीमपुर खीरी	मोहम्मदी में 2 न्यायालय कक्ष, सम्बंधित भवन एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	इलाहाबाद बैंक	50206454029	0.39	0	0.39
2013-14	लखीमपुर खीरी	2 ब्लॉक्स में 12 न्यायालय कक्षों का निर्माण	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक	142201000005668	12.88	0	12.88
2014-15	लखीमपुर खीरी	2 ब्लॉक्स में 12 न्यायालय कक्षों का निर्माण	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक	142201000005668	0.63	0	0.63
2015-16	लखीमपुर खीरी	2 ब्लॉक्स में 12 न्यायालय कक्षों का निर्माण	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक	142201000005668	3.09	0	3.09
2013-14	लखीमपुर खीरी	न्यायिक अधिकारियों के 8 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक	911010052302044	2.17	0	2.17
2014-15	लखीमपुर खीरी	न्यायिक अधिकारियों के 8 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक	911010052302044	0.25	0	0.25
2015-16	लखीमपुर खीरी	न्यायिक अधिकारियों के 8 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक	911010052302044	1.35	0	1.35
2015-16	लखीमपुर खीरी	जनपद न्यायालय में रेन वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	आई डी बी आई	314104000091048	0.01	0	0.01
2013-14	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर में ओवर हेड टैंक	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3412040000050	0.06	0	0.06
2014-15	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर में ओवर हेड टैंक	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3412040000050	0.42	0	0.42
2015-16	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर में ओवर हेड टैंक	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	3412040000050	0.42	0	0.42
2014-15	बलिया	फॅमिली कोर्ट	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक	504000100249803	4.45	4.45	0
2014-15	बलिया	14 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक	504000100249797	20.5	20.5	0
2014-15	बलिया	टाइप- V के 16 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक	504000100249788	17.64	17.64	0

2011-12	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000000696	17.99	0	17.99
2012-13	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000000696	9.61	0	9.61
2013-14	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000000696	6.42	0	6.42
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000000696	3.04	0	3.04
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000000696	4.43	0	4.43
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	न्यायालय परिसर में बाउंड्री वाल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	कोटक महिंद्रा बैंक गाजियाबाद	508010272720	1.11	0	1.11
2011-12	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000001408	0.15	0	0.15
2012-13	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000001408	0.5	0	0.5
2013-14	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000001408	0.27	0	0.27
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000001408	0.15	0	0.15
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	हवालात भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	द नैनीताल बैंक नॉएडा	70200000001408	0.083	0	0.083
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	जनपद न्यायाधीश का आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एच डी एफ सी	50100103586000	0.51	0	0.51
2015-16	बागपत	जनपद न्यायाधीश का आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन ओवरसीज बैंक गाजियाबाद	45701000022520	2.97	0	2.97
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	टाइप-V के 16 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	बैंक ऑफ इंडिया	711610310001374	14.65	0	14.65
2012-13	गौतम बुद्धनगर	अनावासीय भवन जेवर	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064151577	3.38	0	3.38
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	अनावासीय भवन जेवर	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064151577	15.14	0	15.14
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	अनावासीय भवन जेवर	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064151577	2.68	0	2.68
2011-12	बागपत	17 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक गाजियाबाद	929166531	0.24	0	0.24

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

2014-15	बागपत	17 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक गाजियाबाद	929166531	30.1	0	30.1
2015-16	बागपत	17 न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक गाजियाबाद	929166531	9.51	0	9.51
2012-13	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064154840	2.02	0	2.02
2014-15	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064154840	6.27	0	6.27
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	इंडियन बैंक नॉएडा	6064154840	1.32	0	1.32
2014-15	बागपत	ट्रांजिट हॉस्टल (जी+I+II)	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक नॉएडा	912010006653098	5.78	0	5.78
2015-16	बागपत	ट्रांजिट हॉस्टल (जी+I+II)	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	एक्सिस बैंक नॉएडा	912010006653098	0.83	0	0.83
2014-15	बागपत	न्यायिक अधिकारियों हेतु 14 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद	180000103090549	3.47	0	3.47
2015-16	बागपत	न्यायिक अधिकारियों हेतु 14 आवास	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद	180000103090549	12.02	0	12.02
2015-16	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में वाह्य न्यायालय, जेवर के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय परिसर कल बाउन्ड्रीवाल की ऊँचाई बढ़ाये जाने का कार्य	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	पंजाब नेशनल बैंक गाजियाबाद	2051000100439740	1.42	0	1.42
2015-16	कासगंज	18 न्यायालय भवन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कासगंज	15702191026860	7.12	0	7.12
2014-15	कासगंज	कासगंज न्यायालय परिसर में बाउन्ड्री वाल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कासगंज	15702191022336	0.48	0	0.48
2015-16	कासगंज	कासगंज न्यायालय परिसर में बाउन्ड्री वाल	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स कासगंज	15702191022336	4.25	0	4.25
2015-16	चित्रकूट	11 (जी + 2) न्यायालय कक्ष	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज	बैंक ऑफ बड़ौदा	24920100015250	0.02	0	0.02
योग						316.8742	42.59	274.2842
						अथवा ₹ 3.17 करोड़	अथवा ₹ 0.43 करोड़	अथवा ₹ 2.74 करोड़

(स्रोत: कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दी गई सूचनाएं)

परिशिष्ट 3.2.3

चयनित जनपदों में कार्यों में लागत वृद्धि
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यदायी संस्थाओं के नाम	कार्यों की संख्या	मूल लागत	कार्यों की संख्या जिनमें लागत का पुनरीक्षण हुआ	कॉलम 5 में वर्णित कार्यों की मूल लागत	कॉलम 5 में वर्णित कार्यों की पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5	6	7
1	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	14	70.15	08	42.97	70.89
2	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	11	55.54	04	20.81	47.64
3	लोक निर्माण विभाग	08	2.79	02	0.31	0.77
4	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड	02	0.99	02	0.99	2.51
5	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	01	9.96	00	0.00	0.00
	योग	36	139.43	16	65.08	121.81

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2.4
लागत में पुनरीक्षण के कारणों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.3)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	आगणित लागत (₹ लाख में)	पुनरीक्षित लागत (₹ लाख में)	लागत में वृद्धि (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था का नाम	कारण
1	इलाहाबाद	सिविल कोर्ट परिसर में बाउंड्री वाल का निर्माण	16.43	40.83	24.4	लोक निर्माण विभाग	अवरोध को नहीं हटाना
2	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,989.52	3,553.36	1563.84	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण एवं अन्य अतिरिक्त कार्य
3	बागपत	ट्रांजिट हॉस्टल, बागपत के दूसरे तल का निर्माण	191.49	207.4	15.91	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण
4	बागपत	न्यायिक अधिकारियों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल के भूमि तल एवं प्रथम तल का निर्माण	395.87	445.17	49.3	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण एवं विशिष्टियों में परिवर्तन
5	बलिया	फॅमिली कोर्ट का निर्माण	46.95	109.09	62.14	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण एवं कार्य स्थल का खाली न होना
6	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश के आवास में कार्यालय कक्ष का निर्माण	13.9	36.54	22.64	लोक निर्माण विभाग	दर अनुसूची में पुनरीक्षण
7	गौतम बुध नगर	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,806.74	4,261.65	2454.91	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	दर अनुसूची में पुनरीक्षण
8	गौतम बुध नगर	वाह्य कोर्ट जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	498.92	119.87	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
9	गौतम बुध नगर	वाह्य कोर्ट जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	496.18	195.64	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
10	लखीमपुर खीरी	12 न्यायालय कक्ष भवनों के दो ब्लॉक्स का निर्माण	845.58	1,396.06	548.48	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	कार्य क्षेत्र में परिवर्तन एवं दर अनुसूची में पुनरीक्षण
11	लखीमपुर खीरी	टाइप-V के आठ आवासों का निर्माण	147.95	382.49	234.54	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
12	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट मोहम्मदी में दो न्यायालय कक्षों के भवन का निर्माण	33.88	74.73	40.85	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन

13	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट मोहम्मदी में टाइप-IV के दो आवासों का निर्माण	24.87	48.49	23.62	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	विशिष्टियों में परिवर्तन
14	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट निघासन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण	69.21	207.34	138.13	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड	विशिष्टियों में परिवर्तन
15	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट निघासन में टाइप-V के एक आवास का निर्माण	30.26	43.76	13.5	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड	विशिष्टियों में परिवर्तन
16	लखीमपुर खीरी	वाह्य कोर्ट मोहम्मदी में दो न्यायालय कक्षों तथा सम्बंधित कार्यालयों का निर्माण	215.93	379.47	163.54	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	उपलब्ध नहीं
योग			6,508.17 अथवा ₹ 65.08 करोड़	12,181.48 अथवा ₹ 121.81 करोड़			

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा दी गई सूचना)

परिशिष्ट 3.2.5

चयनित जनपदों में अपर्याप्त सर्वेक्षण के प्रकरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संस्था	लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	चित्रकूट	वाह्य कोर्ट मऊ में टाइप V के दो आवासों का निर्माण	0.97	1.99	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शासन द्वारा नवम्बर 2014 में वाह्य कोर्ट मऊ में टाइप V श्रेणी के दो आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य जुलाई 2016 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु टाइप V के दो आवासों का निर्माण कार्य उचित सर्वेक्षण किये बिना ही आरंभ कर दिया गया। स्थल के ऊपर से उच्च शक्ति विद्युत लाइन के गुजरने के फलस्वरूप निर्माण स्थल के एक भाग पर कार्य रोक दिया गया तथा इसे हटाने के लिए अगस्त 2015 में विद्युत विभाग को ₹ 8.84 लाख का भुगतान किया गया। कार्य का पुनः आरम्भ मई 2016 में उच्च शक्ति विद्युत लाइन को हटाने के 10 माह पश्चात हुआ। अग्रेतर, स्थल विकास कार्य जोड़े जाने के कारण, जो मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था, कार्य की पुनरीक्षित लागत ₹ 1.99 करोड़ हो गई। कार्य अब तक प्रगति में था।
2	चित्रकूट	टाइप-V के 10 आवासों एवं टाइप-VI के एक आवास का निर्माण	5.34	5.34 (कार्य लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	शासन ने सितम्बर 2014 में टाइप-V के 10 आवासों हेतु ₹ 4.56 करोड़ एवं टाइप-VI के एक आवास के निर्माण हेतु ₹ 0.78 करोड़ की स्वीकृतियां प्रदान की थी। निर्माण कार्य सड़क के मध्य से 82 फीट (25 मीटर) की दूरी के स्थान पर 60 फीट की दूरी पर एवं बिना प्लिंथ को ऊँचा किये ही आरंभ किया गया। माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश ने फरवरी 2016 में पाया कि सड़क को चित्रकूट-सतना हाईवे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित था तथा सड़क की ऊँचाई बढ़ाये जाने के फलस्वरूप आवासीय काम्प्लेक्स में जल जमाव होगा क्योंकि प्लिंथ को ऊँचा नहीं किया जा सकता था। कार्य अब तक प्रगति में था।
3	लखीमपुर खीरी	आठ आवासों का निर्माण	1.48	2.38	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	न्यायिक अधिकारियों के आठ टाइप-IV आवासों के निर्माण हेतु शासन ने मई 2011 में स्वीकृति प्रदान की जिसके अनुसार कार्यदायी संस्था ने बिना उचित सर्वेक्षण किये चार ब्लॉकों में आठ आवासों के निर्माण हेतु आगणन तैयार किया। बाद में यह पाया गया कि स्थल दो ब्लॉकों में मात्र चार आवासों के लिए ही उपलब्ध था। अग्रेतर आवासों की विशिष्टियों को टाइप-IV से टाइप-V में भी परिवर्तित किया गया। अंततः दो ब्लॉकों की ऊँचाई बढ़ा कर टाइप-V के मात्र छः आवासों का निर्माण किया गया। इसके फलस्वरूप कार्य बढ़ी हुई लागत ₹ 2.38 करोड़ पर सम्पादित हुआ तथा दो आवासों का निर्माण नहीं हो सका।
4	लखीमपुर खीरी	28 आवासों का निर्माण	0.63	0.83	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	अत्यधिक जल जमाव की स्थिति के कारण भवनों को विगत 10 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि इनका निर्माण भट्टे की जमीन पर किया गया था जिस पर निर्माण कार्य के पूर्व जमीन की सतह को ऊँचा किया जाना आवश्यक था।
योग			8.42	10.54		

(स्रोत: चयनित जनपदों के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2.6

चयनित जनपदों में अवरोध रहित स्थल की अनुपलब्धता के प्रकरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संस्था	लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण	24.55	24.55 (लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	शासन द्वारा कार्य की स्वीकृति मार्च 2012 में प्रदान की गई, जिसे मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु स्थल की पैमाइश नहीं होने एवं स्थल से वृक्षों को हटाने के फलस्वरूप, कार्य वास्तव में कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के उपरांत अप्रैल 2013 में आरम्भ हुआ। कार्य के पूर्ण होने की पुनर्निर्धारित तिथि के अनुसार कार्य दिसंबर 2015 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु इस तिथि तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका तथा नवम्बर 2016 तक कार्य प्रगति में था।
2	इलाहाबाद	25 न्यायालय कक्षों का निर्माण	9.96	9.96 (लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्	₹ 9.96 करोड़ लागत के 25 न्यायालय कक्षों का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा अक्टूबर 2013 में आरम्भ किया गया जिसे मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था। कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्) ने निर्माण उपकरणों के मुक्त आवागमन एवं मार्ग में अवैध निर्माण के आधार पर होने वाली बाधा के विषय में सूचित किया एवं बार-बार बाधाओं को दूर किये जाने हेतु अनुरोध किया। नवम्बर 2016 तक कार्य प्रगति में था।
3	इलाहाबाद	लॉक अप तथा बाउंड्री वाल का निर्माण	0.53	0.53 (लागत का पुनरीक्षण नहीं हुआ)	लोक निर्माण विभाग	लॉक अप तथा 562 मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा जुलाई 2011 में आरम्भ किया गया। लॉक अप के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया परन्तु 472 मीटर बाउंड्री वाल का निर्माण करने के पश्चात मई 2013 में कार्य रोक दिया गया। बाउंड्री वाल के अवशेष निर्माण कार्य को अप्रैल 2016 तक आरम्भ नहीं किया गया था।
4	बलिया	टाइप IV के 16 आवासों का निर्माण	3.59	13.56	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	शासन द्वारा टाइप IV के 16 आवासों के निर्माण की स्वीकृति नवम्बर 2011 में प्रदान की गई थी। कार्य को सितम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु स्थल से पुराने भवन एवं वनस्पतियों को नहीं हटाने के कारण कार्यदायी संस्था को कार्यादेश मार्च 2013 में निर्गत किया जा सका। इसके अतिरिक्त टाइप-IV आवासों के विशिष्टियों को टाइप-V में परिवर्तित करने एवं विलम्ब के फलस्वरूप सामग्री की मूल्य में वृद्धि के कारण कार्य की लागत ₹ 3.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 13.56 करोड़ हो गई। कार्य प्रगति में था।
5	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण	0.47	1.09	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	कार्य को मार्च 2013 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था परन्तु स्थल से पुराने भवन एवं वनस्पतियों को नहीं हटाने के कारण कार्यदायी संस्था को कार्यादेश अप्रैल 2013 में निर्गत किया जा सका। कार्य की लागत पुनरीक्षित होकर ₹ 0.47 करोड़ से ₹ 1.09 करोड़ हो गई तथा कार्य 36 माह विलम्ब से मार्च 2016 में पूर्ण हुआ।
योग			39.10	49.69		

(स्रोत: चयनित जनपदों के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2.7

चयनित जनपदों में मानचित्रों के विलम्ब से अनुमोदन के प्रकरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	कार्य की मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	कार्यदायी संस्था	लेखा परीक्षा टिप्पणी
1	बलिया	18 (12+6) न्यायालय कक्षों का निर्माण	7.41	23.19	कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	कार्य नवम्बर 2011 में स्वीकृत हुआ तथा कार्यदायी संस्था ने नक्शे को स्वीकृति हेतु अप्रैल 2012 में प्रस्तुत किया। परन्तु मानकों में बदलाव (अक्टूबर 2012) के कारण संशोधित नक्शे की स्वीकृति मार्च 2013 में हुई। इस कारण भूमि छः न्यायालयों के लिए कम पड़ गई। मार्च 2014 में यह निर्णय लिया गया कि दो तलों का एक भवन जिसमें प्रत्येक तल पर दो न्यायालय कक्ष (कुल चार न्यायालय कक्ष) तथा सात तलों का दूसरा भवन जिसमें प्रत्येक तल पर दो न्यायालय कक्ष (कुल चौदह न्यायालय कक्ष) का निर्माण किया जायेगा। संशोधित नक्शों को शासन में मई 2014 में प्रस्तुत किया गया जिसकी स्वीकृति नवम्बर 2014 में हुई। कार्य की लागत पुनरीक्षित होकर ₹ 23.19 करोड़ हो गई। जुलाई 2016 तक कार्य की प्रगति 10 प्रतिशत से कम थी।
2	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश के आवास पर कैम्प कार्यालय का निर्माण	0.14	0.37	लोक निर्माण विभाग	कार्य की स्वीकृति अक्टूबर 2011 में हुई परन्तु मानचित्रों की स्वीकृति एवं अनुबंध गठित होने में विलम्ब के कारण कार्य वास्तव में मार्च 2013 में आरम्भ हुआ। 40 प्रतिशत कार्य होने के उपरांत कार्य को अगस्त 2014 में रोक दिया गया ₹ 0.37 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन अक्टूबर 2016 तक शासन में स्वीकृति हेतु लंबित था।
3	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्षों का निर्माण	18.07	42.62	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	नवम्बर 2007 में स्वीकृत कार्य को वास्तव में फरवरी 2010 में आरंभ किया गया क्योंकि कार्यदायी संस्था ने परियोजना स्वीकृत होने के 12 माह पश्चात् मानचित्रों को अनुमोदन हेतु नोएडा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया। मानचित्रों को नवम्बर 2009 में अनुमोदित किया गया। समय वृद्धि एवं अन्य कार्यों के कारण कार्य की लागत पुनरीक्षित होकर ₹ 42.62 करोड़ हो गई।
योग			25.62	66.18		

(स्रोत: चयनित जनपदों के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.2.8
चयनित जनपदों में 2011-16 के मध्य लिये गये कार्यों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.5)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था
1	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	2,455.42	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद में 25 न्यायालय कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण (द्वितीय चरण)।	995.86	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
3	इलाहाबाद	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण।	16.43	लोक निर्माण विभाग
4	बागपत	श्रेणी V के 14 आवासों का निर्माण।	657.39	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
5	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	1,989.52	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
6	बागपत	जनपद न्यायाधीश आवास का निर्माण।	82.52	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
7	बागपत	बागपत में ट्रांजिट हास्टल के द्वितीय तल का निर्माण।	191.49	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
8	बागपत	न्यायिक अधिकारियों के लिये ट्रांजिट हास्टल के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण।	395.87	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
9	बलिया	श्रेणी IV के 16 आवासों का निर्माण।	359.11	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
10	बलिया	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण।	69.48	लोक निर्माण विभाग
11	बलिया	बलिया में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	741.16	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
12	बलिया	बलिया में 04 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	508.69	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
13	बलिया	न्यायाधीश कालोनी की बाउन्ड्री का निर्माण।	40.13	लोक निर्माण विभाग
14	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण।	46.95	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
15	बलिया	पुरानी मुन्सिफी बिल्डिंग की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	25.56	लोक निर्माण विभाग
16	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश आवास में कार्यालय कक्ष का निर्माण	13.90	लोक निर्माण विभाग
17	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी-V के 10 आवासों का निर्माण	456.26	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
18	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मऊ में 02 न्यायालय कक्षों एवं इसके सम्बद्ध भवन का निर्माण	419.77	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
19	चित्रकूट	चित्रकूट में अनावासीय भवन का निर्माण	2,574.93	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
20	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मऊ में श्रेणी-V के 02 आवासों का निर्माण	96.64	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
21	चित्रकूट	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	8.50	लोक निर्माण विभाग
22	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी-VI के 01 आवास का निर्माण	77.89	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
23	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में पाँच प्रवेश द्वारों पर पोर्टिको का निर्माण	165.14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
24	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के लिये एम.एस. शेड एवं जनरल पार्किंग एरिया का निर्माण	382.65	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
25	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी-V के 16 आवासों का निर्माण	915.18	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
26	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चीकरण	111.12	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
27	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,806.74	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

28	गौतम बुद्ध नगर	नवनिर्मित 17 न्यायालय कक्ष भवन के लिये फर्नीचर का क्रय	116.86	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
29	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
30	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी- VI के एक आवास का निर्माण (जनपद न्यायाधीश के लिये)	86.64	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
31	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
32	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर, गौतम बुद्ध नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चिकरण	84.82	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
33	जौनपुर	सर्वर रूम तथा रजिस्ट्री आफिस, जौनपुर के बगल बाउन्ड्री वाल एवं लॉन का निर्माण	19.98	लोक निर्माण विभाग
34	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर, जौनपुर में ओवर हेड टैंक का निर्माण	19.35	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
35	जौनपुर	फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना	83.20	लोक निर्माण विभाग
36	जौनपुर	जजेज कालोनी में ओवर हेड टैंक का निर्माण	16.91	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
37	कासगंज	कांशीराम नगर जजी की 18 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण (जी 11, एफ 07)	4,604.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
38	कासगंज	जनपद न्यायाधीश आवास	84.92	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
39	कासगंज	कांशीराम नगर जजी की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	329.00	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
40	कासगंज	अधिकारी आवास, मामो, श्रेणी- V : 13	618.53	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
41	लखीमपुर खीरी	12 न्यायालय कक्ष भवन के दो खण्डों का निर्माण	845.58	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
42	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी में दो सर्वैट क्वार्टर्स का निर्माण	8.82	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
43	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी जजी में नवीन न्यायालय भवन तथा एफ.टी. सी. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना	12.14	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
44	लखीमपुर खीरी	श्रेणी-V के 08 आवासों का निर्माण	147.95	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
45	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी में मिनी ट्यूबवेल एवं इसके सम्बद्ध कार्यों का निर्माण	7.78	कंसल्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
46	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में 2 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	33.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
47	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में श्रेणी-IV के 02 आवासों का निर्माण	24.87	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
48	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय निघासन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण	69.21	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
49	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय निघासन में श्रेणी-V के एक आवास का निर्माण	30.26	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
50	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी में नवनिर्मित 2 न्यायालय कक्ष भवन में फर्नीचर की स्थापना	14.29	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
51	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी में 02 न्यायालय भवन एवं इसके सम्बद्ध कार्यालयों का निर्माण	215.93	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
कुल			23,759.69	
			अथवा	
			₹ 237.60 करोड़	

(स्रोत: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.2.9

चयनित जनपदों में 2011-16 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को
बगैर अनुबंध/सहमति पत्र के सौंपे गये कार्यों का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.4)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था
1	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	2,455.42	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
2	इलाहाबाद	इलाहाबाद में 25 न्यायालय कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण (द्वितीय चरण)।	995.86	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
3	बागपत	श्रेणी V के 14 आवासों का निर्माण।	657.39	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
4	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	1,989.52	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
5	बागपत	जनपद न्यायाधीश आवास का निर्माण।	82.52	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
6	बागपत	बागपत में ट्रांजिट हास्टल के द्वितीय तल का निर्माण।	191.49	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
7	बागपत	न्यायिक अधिकारियों के लिये ट्रांजिट हास्टल के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण।	395.87	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
8	बलिया	श्रेणी IV के 16 आवासों का निर्माण।	359.11	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
9	बलिया	बलिया में 14 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	741.16	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
10	बलिया	बलिया में 04 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	508.69	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
11	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण।	46.95	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
12	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी-V के 10 आवासों का निर्माण	456.26	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
13	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मऊ में 02 न्यायालय कक्षों एवं इसके सम्बद्ध भवन का निर्माण	419.77	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
14	चित्रकूट	चित्रकूट में अनावासीय भवन का निर्माण	2,574.93	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
15	चित्रकूट	वाह्य न्यायालय मऊ में श्रेणी-V के 02 आवासों का निर्माण	96.64	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
16	चित्रकूट	चित्रकूट में श्रेणी-VI के 01 आवास का निर्माण	77.89	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
17	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में पॉच प्रवेश द्वारों पर पोर्टिको का निर्माण	165.14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
18	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के लिये एम.एस. शेड एवं जनरल पार्किंग एरिया का निर्माण	382.65	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
19	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी-V के 16 आवासों का निर्माण	915.18	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
20	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चीकरण	111.12	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
21	गौतम बुद्ध नगर	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	1,806.74	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
22	गौतम बुद्ध नगर	नवनिर्मित 17 न्यायालय कक्ष भवन के लिये फर्नीचर का क्रय	116.86	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
23	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
24	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में श्रेणी-VI के एक आवास का निर्माण (जनपद न्यायाधीश के लिये)	86.64	कंसद्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

25	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
26	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर, गौतम बुद्ध नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय परिसर की बाउन्ड्री वाल का उच्चिकरण	84.82	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
27	जौनपुर	सिविल कोर्ट परिसर, जौनपुर में ओवर हेड टैंक का निर्माण	19.35	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
28	जौनपुर	जजेज कालोनी में ओवर हेड टैंक का निर्माण	16.91	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
29	कासगंज	काशीराम नगर जजी की 18 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण (जी 11, एफ 07)	4,604.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
30	कासगंज	जनपद न्यायाधीश आवास	84.92	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
31	कासगंज	काशीराम नगर जजी की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	329.00	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
32	कासगंज	अधिकारी आवास, मामो, श्रेणी- V : 13	618.53	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
33	लखीमपुर खीरी	12 न्यायालय कक्ष भवन के दो खण्डों का निर्माण	845.58	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
34	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी में दो सर्वेट क्वार्टर्स का निर्माण	8.82	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
35	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी जजी में नवीन न्यायालय भवन तथा एफ.टी. सी. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना	12.14	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
36	लखीमपुर खीरी	श्रेणी-V के 08 आवासों का निर्माण	147.95	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
37	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी में मिनी ट्यूबवेल एवं इसके सम्बद्ध कार्यों का निर्माण	7.78	कंन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम
38	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में 2 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण	33.88	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
39	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी में श्रेणी-IV के 02 आवासों का निर्माण	24.87	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
40	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय निघासन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण	69.21	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
41	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय निघासन में श्रेणी- V के एक आवास का निर्माण	30.26	उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड
42	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी में नवनिर्मित 2 न्यायालय कक्ष भवन में फर्नीचर की स्थापना	14.29	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
43	लखीमपुर खीरी	वाह्य न्यायालय मोहम्मदी में 02 न्यायालय भवन एवं इसके सम्बद्ध कार्यालयों का निर्माण	215.93	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम
कुल			23482.51	
			अथवा	
			₹ 234.83 करोड़	

(स्रोत: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.2.10
चयनित जनपदों में समय वृद्धि के प्रकरणों का विवरण
 (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.2.3.5)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्यदायी संस्था	कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि	कार्य प्रारम्भ की वास्तविक तिथि	कार्य पूर्ण किये जाने की वास्तविक तिथि	समय में वृद्धि
1	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में पॉच प्रवेश द्वारों पर पोर्टिको का निर्माण	165.14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	30.4.2015	31.03.16	30.04.15	लम्बित	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (2 माह)
2	गौतम बुद्ध नगर	गौतम बुद्ध नगर में सिविल कोर्ट परिसर में कर्मचारियों के लिये एम.एस. शेड एवं जनरल पार्किंग एरिया का निर्माण	382.65	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	30.4.2015	31.3.16	30.4.15	लम्बित	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (2 माह)
3	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में अनावासीय भवन का निर्माण	379.05	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	26.12.2011	25.12.12	26.12.11	30.9.15	33 माह
4	गौतम बुद्ध नगर	वाह्य न्यायालय जेवर में आवासीय भवन का निर्माण	300.54	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	27.12.2011	26.12.2012	27.12.2011	30.9.15	33 माह
5	बागपत	17 न्यायालय कक्ष भवन का निर्माण।	1989.52	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	03/11	31.5.12	03/2011	22.03.2014	24 माह
6	बागपत	बागपत में ट्रांजिट हास्टल के द्वितीय तल का निर्माण।	191.49	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	17.02.12	30.6.12	17.2.12	31.03.2015	33 माह
7	बागपत	न्यायिक अधिकारियों के लिये ट्रांजिट हास्टल के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण।	395.87	कंसट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम	15.12.12	31.05.13	15.12.12	31.3.2015	22 माह

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

8	इलाहाबाद	24 न्यायालय कक्षों का निर्माण।	2455.42	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अपैल-13	दिसम्बर-15	अपैल-13	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (6 माह)
9	इलाहाबाद	इलाहाबाद में 25 न्यायालय कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण (द्वितीय चरण)।	995.86	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अक्टूबर-13	मार्च-15	अक्टूबर-13	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (15 माह)
10	बलिया	फेमिली कोर्ट का निर्माण।	46.95	उत्तर प्रदेश जल निगम	NA	मार्च-13	फरवरी-13	मार्च-16	36 माह
11	बलिया	पुरानी मुन्सिफी बिल्डिंग की बाउन्ड्री वाल का निर्माण	25.56	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	NA	मार्च-13	अगस्त-12	मई-13	2 माह
		कुल	7,328.05						
		अथवा ₹ 73.28 करोड़							
कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण कार्यों का विवरण									
1	इलाहाबाद	सिविल कोर्ट परिसर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण।	16.43	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	अक्टूबर-11	अपैल-12	दिसम्बर-11	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (50 माह)
2	चित्रकूट	जनपद न्यायाधीश आवास में कार्यालय कक्ष का निर्माण	13.90	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	दिसम्बर-11	31.03.2012	मार्च-13	कार्य प्रगति पर	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि के बाद भी अपूर्ण (51 माह)
		कुल	30.33						
		अथवा ₹ 0.30 करोड़							

(स्रोत: चयनित जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

परिशिष्ट 3.3.1
चिकित्सकीय विभागों में शिक्षण उपकरणों की कमी
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.3.1)

(अंको में)

क्र. सं.	चिकित्सकीय उपकरण का नाम	भारतीय चिकित्सा परिषद के मानक के अनुसार आवश्यक मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ					
1	मेडिसिन	373	236	137	36.73
2	पीडियाट्रिक्स	609	39	570	93.60
3	टी0बी0 एवं चेस्ट	22	8	14	63.64
4	साईकेट्री	25	5	20	80.00
5	सर्जरी	238	88	150	63.03
6	आपथलमोलोजी	122	122	0	0.00
7	ई0एन0टी0	157	140	17	10.83
8	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गार्डनकोलाजी	904	345	559	61.84
9	एनेस्थीसियोलोजी	33	15	18	54.55
10	रेडियोडाईग्नोसिस	18	8	10	55.56
11	आर्थोपेडिक्स	34	12	22	64.71
योग		2,535	1,018	1,517	59.84
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर					
1	टी0बी0 एवं चेस्ट	22	4	18	81.82
2	पीडियाट्रिक्स	114	106	8	7.02
3	सर्जरी	239	203	36	15.06
4	आर्थोपेडिक्स	25	6	19	76.00
5	आपथलमोलोजी	122	38	84	68.85
6	साईकेट्री	20	8	12	60.00
7	ई0एन0टी0	155	91	64	41.29
8	एनेस्थीसियोलोजी	30	14	16	53.33
9	रेडियोडाईग्नोसिस	20	9	11	55.00
10	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गार्डनकोलाजी	628	499	129	20.54
11	मेडिसिन	308	247	61	19.81
योग		1,683	1,225	458	27.21
एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी					
1	जनरल मेडिसिन	308	178	130	42.21
2	पीडियाट्रिक्स	114	114	0	0.00
3	टी0बी0 एवं चेस्ट	22	12	10	45.45
4	साईकेट्री	20	17	3	15.00
5	सर्जरी	239	61	178	74.48
6	आर्थोपेडिक्स	25	23	2	8.00
7	आपथलमोलोजी	122	36	86	70.49
8	ई0एन0टी0	155	155	0	0.00
9	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गार्डनकोलाजी	628	454	174	27.71
10	एनेस्थीसियोलोजी	30	19	11	36.67
11	रेडियोडाईग्नोसिस	20	10	10	50.00
12	रेडियोथेरेपी	31	2	29	93.55
योग		1,714	1,081	633	36.93

किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ					
1	जनरल मेडिसिन	627	251	376	59.97
2	पीडियाट्रिक्स	101	76	25	24.75
3	साईकेट्री	35	35	0	0.00
4	जनरल सर्जरी	330	156	174	52.73
5	पीडियाट्रिक्स सर्जरी	104	75	29	27.88
6	आर्थोपेडिक्स	41	39	2	4.88
7	आपथलमोलोजी	102	66	36	35.29
8	ई0एन0टी0	191	185	6	3.14
9	आब्सटेक्ट्रीक्स एवं गार्डनकोलाजी	1325	770	555	41.89
10	रेडियोडाईग्नोसिस	24	14	10	41.67
11	रेडियोथेरेपी	36	31	5	13.89
योग		2,916	1,698	1,218	41.77

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज)

परिशिष्ट 3.3.2

विभागवार शिक्षण उपकरणों की कमी (गैर-चिकित्सकीय)
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.3.3.2)

(संख्या में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा परिषद के मानकों के अनुसार आवश्यक मात्रा	उपलब्ध मात्रा	कमी	कमी का प्रतिशत
एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ					
1	एनाटमी	313	260	53	16.93
2	फिजियोलॉजी	621	372	249	40.10
3	बायोकेमेस्ट्री	245	126	119	48.57
4	पैथालॉजी	860	482	378	43.95
5	माइक्रोबायोलॉजी	1,378	119	1259	91.36
6	फार्माकोलॉजी	2,351	759	1592	67.72
7	फोरेन्सिक मेंडिसिन	186	61	125	67.20
8	कम्यूनिटी मेडिसिन	83	61	22	26.51
योग		6,037	2240	3797	62.90
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर					
1	एनाटमी	235	206	29	12.34
2	फिजियोलॉजी	445	365	80	17.98
3	बायोकेमेस्ट्री	244	41	203	83.20
4	पैथालॉजी	603	243	360	59.70
5	माइक्रोबायोलॉजी	951	394	557	58.57
6	फार्माकोलॉजी	1,761	621	1140	64.74
7	फोरेन्सिक मेंडिसिन	167	33	134	80.24
8	कम्यूनिटी मेडिसिन	71	52	19	26.76
योग		4,477	1955	2522	56.33
एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झांसी					
1	एनाटमी	235	181	54	22.98
2	फिजियोलॉजी	445	170	275	61.80
3	बायोकेमेस्ट्री	244	92	152	62.30
4	पैथालॉजी	603	603	0	0.00
5	माइक्रोबायोलॉजी	951	383	568	59.73
6	फार्माकोलॉजी	1,761	660	1101	62.52
7	फोरेन्सिक मेंडिसिन	167	91	76	45.51
8	कम्यूनिटी मेडिसिन	71	56	15	21.13
योग		4,477	2,236	2241	50.06
किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ					
1	एनाटमी	471	450	21	4.46
2	फिजियोलॉजी	1,008	431	577	57.24
3	बायोकेमेस्ट्री	328	44	284	86.59
4	पैथालॉजी	1,115	384	731	65.56
5	माइक्रोबायोलॉजी	724	39	685	94.61
6	फार्माकोलॉजी	3,471	590	2881	83.00
7	फोरेन्सिक मेंडिसिन	193	82	111	57.51
योग		7,310	2,020	5290	72.37

(स्रोत: सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज)

परिशिष्ट 3.4

शासन को प्रतिशतता प्रभार पर ब्याज की हानि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.11)

क्र. सं.	प्राप्त धनराशि (₹ लाख में)	प्राप्ति की तिथि	देय प्रतिशतता प्रभार 12.5 प्रतिशत की दर से (₹ लाख में)	अवधि		माह	ऋण पर ब्याज की दर (प्रतिशत में)	प्रतिशतता प्रभार पर ब्याज (₹ लाख में)
1	500	31 मार्च 2008	62.50	अप्रैल-08	मार्च-09	12	6.29	3.93
				अप्रैल-09	मार्च-10	12	6.16	3.85
				अप्रैल-10	मार्च-11	12	6.67	4.17
				अप्रैल-11	मार्च-12	12	6.62	4.14
				अप्रैल-12	मार्च-13	12	6.73	4.21
				अप्रैल-13	मार्च-14	12	6.43	4.02
				अप्रैल-14	मार्च-15	12	6.40	4.00
कुल ब्याज							28.31	
2	400	01 सितम्बर 2008	50	अक्टूबर-08	मार्च-09	6	6.29	1.57
				अप्रैल-09	मार्च-10	12	6.16	3.08
				अप्रैल-10	मार्च-11	12	6.67	3.34
				अप्रैल-11	मार्च-12	12	6.62	3.31
				अप्रैल-12	मार्च-13	12	6.73	3.37
				अप्रैल-13	मार्च-14	12	6.43	3.22
				अप्रैल-14	मार्च-15	12	6.40	3.20
कुल ब्याज							21.08	
3	100	17 फरवरी 2009	12.5	मार्च-09	मार्च-09	1	6.29	0.07
				अप्रैल-09	मार्च-10	12	6.16	0.77
				अप्रैल-10	मार्च-11	12	6.67	0.83
				अप्रैल-11	मार्च-12	12	6.62	0.83
				अप्रैल-12	मार्च-13	12	6.73	0.84
				अप्रैल-13	मार्च-14	12	6.43	0.80
				अप्रैल-14	मार्च-15	12	6.40	0.80
कुल ब्याज							4.94	
4	500	16 फरवरी 2010	62.5	मार्च-10	मार्च-10	1	6.16	0.32
				अप्रैल-10	मार्च-11	12	6.67	4.17
				अप्रैल-11	मार्च-12	12	6.62	4.14
				अप्रैल-12	मार्च-13	12	6.73	4.21
				अप्रैल-13	मार्च-14	12	6.43	4.02
				अप्रैल-14	मार्च-15	12	6.40	4.00
कुल ब्याज							20.85	
5	50	16 जून 2011	6.25	जुलाई-11	मार्च-12	9	6.62	0.31
				अप्रैल-12	मार्च-13	12	6.73	0.42
				अप्रैल-13	मार्च-14	12	6.43	0.40
				अप्रैल-14	मार्च-15	12	6.40	0.40
कुल ब्याज							1.53	
6	75	31 जनवरी 2012	9.375	फरवरी-12	मार्च-12	2	6.62	0.10
				अप्रैल-12	मार्च-13	12	6.73	0.63
				अप्रैल-13	मार्च-14	12	6.43	0.60
				अप्रैल-14	मार्च-15	12	6.40	0.60
कुल ब्याज							1.94	
7	75	26 फरवरी 2013	9.375	मार्च-13	मार्च-13	1	6.43	0.05
				अप्रैल-13	अगस्त-13	5	6.40	0.25
कुल ब्याज							0.30	
1,700			212.50					78.95 अथवा ₹ 0.79 करोड़

परिशिष्ट 3.5

शासन द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद अति-दोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूपों के निर्माण का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.13)

अवधि	योजना का नाम	नलकूप संख्या	विकास खण्ड का नाम	जनपद	विकास खण्ड की श्रेणी	निर्माण का माह	लागत (₹ लाख में)	ऊर्जाकरण की तिथि	ऊर्जाकरण की लागत (₹ लाख में)	प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य के स्वीकृति की तिथि	अनुबन्ध की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नवम्बर 2014 से मार्च 2015	डा० राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन नलकूप योजना (सा) वर्ष 2014-15	330 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	12/14	13.77	07/15	2.51	07/15	16.06.14	24.07.14
		338 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	14.93	03/15	2.52	05/15	11.09.14	08.11.14
		108 ई.के.	खैर	अलीगढ़	अति-दोहित	11/14	9.23	06/15	2.15	03/16	17.09.14	27.10.14
		258 ई.जी.	निधौलीकलॉ	एटा	क्रिटिकल	12/14	13.33	10/15	2.65	10/15	11.12.14	29.12.14
		294 के.जी.	सहावर	कासगंज	अति-दोहित	12/14	5.46	03/16	2.52	03/16	15.09.14	17.03.15
	डा० राम मनोहर लोहिया 3000 नवीन नलकूप योजना (एस०सी०पी०) वर्ष 2014-15	340 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	12/14	14.85	06/15	2.95	07/15	11.09.14	10.11.14
		339 शि. बाद	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	12/14	14.30	03/15	2.34	07/15	11.09.14	10.11.14
		259 ई.जी.	निधौलीकलॉ	एटा	क्रिटिकल	01/15	10.29	06/15	2.19	06/15	11.12.14	14.01.15
		133 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	02/15	10.98	07/15	1.21	10/15	18.01.15	13.11.14
		147 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	02/15	11.36	07/15	2.15	09/15	18.01.15	13.11.14
		50 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	13.81	07/15	2.12	09/15	14.09.14	17.07.14
		39 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	01/15	12.51	03/15	1.99	06/15	18.10.14	13.11.14
		107 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	12.13	08/15	2.45	10/15	18.01.15	13.11.14
		131 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	02/15	11.69	07/15	1.35	09/15	04.01.15	13.11.14
		148 एस.के.बी.	शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	अति-दोहित	11/14	13.61	03/15	1.18	06/15	04.01.15	17.07.14
		37 डब्लू.के.	खैर	अलीगढ़	अति-दोहित	01/15	8.52	07/15	1.00	07/15	03.01.15	06.01.15
		68 ई.के.	खैर	अलीगढ़	अति-दोहित	01/15	8.01	06/15	0.39	06/15	28.06.14	22.01.15
		योग							198.78		33.67	
वर्ष 2015-16	डा० राम मनोहर लोहिया 1054 ट्यूबवेल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015-16	99 एच.जी.	सासनी	हाथरस	अति-दोहित	09/15	7.31	03/16	0.50	03/16	25.06.15	28.08.15
		7 एच.जी.	सासनी	हाथरस	अति-दोहित	01/16	6.13	03/16	2.35	03/16	18.09.15	06.11.15
		77 एच.जी.	मुरसान	हाथरस	अति-दोहित	01/16	5.48	03/16	0.10	03/16	18.09.15	17.12.15
		63 डब्लू.के.	खैर	अलीगढ़	अति-दोहित	07/15	7.21	03/16	1.94	03/16	25.06.15	06.08.15
		18 डब्लू.के.	खैर	अलीगढ़	अति-दोहित	08/15	2.53	03/16	0.84	03/16	25.06.15	07.08.15
		24 डब्लू.के.	खैर	अलीगढ़	अति-दोहित	09/15	7.21	03/16	0.96	03/16	25.06.15	21.08.15
		32 डब्लू.के.	चन्दौस	अलीगढ़	क्रिटिकल	01/16	5.98	03/16	0.98	03/16	29.09.15	02.01.16
		71 डब्लू.के.	चन्दौस	अलीगढ़	क्रिटिकल	01/16	6.00	03/16	समायोजित	03/16	29.09.15	19.12.15
		68 डब्लू.के.	चन्दौस	अलीगढ़	क्रिटिकल	12/15	5.99	03/16	0.83	03/16	29.09.15	17.12.15
		52 ई.जी.	निधौलीकलॉ	एटा	क्रिटिकल	09/15	9.92	-	1.13	-	08/2015	11.09.15
150 के.जी.	सहावर	कासगंज	अति-दोहित	07/15	6.12	-	0.80	-	11.05.15	02.05.15		
कुल							69.88		10.43			
महायोग							268.66		44.10			
निर्माण और ऊर्जाकरण का कुल योग (कालम 8+10)							312.76					
									अथवा ₹ 3.13 करोड़			

परिशिष्ट 3.6

दर अनुसूची में दुलाई की उच्च दर का प्राविधान किये जाने के कारण किये गये अधिक भुगतान का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.14)

क्र० सं०	सड़क का चैनेज (किमी)	अनुबन्ध सं०	प्रयुक्त गिट्टी की मात्रा (घन मी०)	सिंचाई विभाग की दर अनुसूची के अनुसार दुलाई की दर (₹ प्रति घन मी०)	लो० नि० वि० की दर अनुसूची के अनुसार दुलाई की दर (₹ प्रति घन मी०)	प्रति घन मी० दुलाई हेतु अधिक भुगतान (₹ प्रति घन मी०)	दुलाई हेतु कुल अधिक भुगतान (₹)	
1	2	3	4	5	6	7= (कॉ.5-कॉ. 6)	8= (कॉ.4xकॉ.7)	
1	44.700 से 66.400	20/एस०ई० / 2013-14	27374	1729.72	1271.00	458.72	1,25,57,001.28	
2	66.400 से 70.600 एवं 79.900 से 104.600	21/एस०ई० /2013-14	33880	1558.45	1173.50	384.95	1,30,42,106.00	
योग							2,55,99,107.28	अथवा ₹ 2.56 करोड़

परिशिष्ट 3.7

अतिरिक्त ढुलाई, लदाई, उतरवाई, चट्टा लगाने एवं त्रुटिपूर्ण परिवर्तन दर के कारण अधिक भुगतान की गणना
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.15)

क्र. सं.	कार्य का नाम	मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति/ तकनीकी स्वीकृति का विवरण	अनुबंध संख्या एवं तिथि	कार्य की मद	कार्य की दर का विवरण (₹)				दर में अन्तर (कॉ. 9-कॉ. 8) (₹)	अद्यतन निष्पादित मात्रा (घन मी०)	अधिक भुगतान (कॉ. 10 x कॉ. 11) (₹)	मदों पर कुल भुगतान (कॉ. 10 x कॉ. 11) (₹)
					प्राक्कलन के अनुसार (₹)	अनुबंधित दर (₹)	लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गयी दर (₹)	भुगतान की दर (₹)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	विक्रमजोत धुसवॉ तटबंध पर कि. मी. 7.300 एवं 8.600 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	32/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 1210.56 लाख	04/अधी. अभि./2013-14 दिनांक 24.12.2013	स्पर के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,297.50	3,297.50	3,063.17	3,100.00	36.83	932.538	34,345.37	28,90,867.80
2	विक्रमजोत धुसवॉ तटबंध पर कि. मी. 10.750 एवं 10.925 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य	34/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 515.09 लाख	06/अधी. अभि./2013-14 दिनांक 24.12.2013	स्पर के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,297.50	3,297.50	3,063.17	3,150.00	86.83	678.970	58,954.97	21,38,755.50
3	स्पर संख्या 22 बी, कि. मी. 12.86; डैम्पनर संख्या 23 बी, कि.मी. 13.025; 24 बी, कि.मी.13.160; 26 बी, कि.मी. 13.44 एवं 27 बी, कि.मी.13.50 के पुनर्स्थापना का कार्य	28/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 964.61 लाख	07/अधी. अभि./2013-14 दिनांक 24.12.2013	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,267.30	3,245.35	2,905.23	3,100.00	194.77	13,353.700	26,00,900.15	4,13,96,470.00
4	काशीपुर दुबौलिया तटबंध के कि. मी. 4.010 से 4.320 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	25/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 740.58 लाख	08/अधी. अभि./2013-14 दिनांक 24.12.2013	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,294.96	3,253.45	2,931.76	3,100.00	168.24	7,552.917	12,70,702.76	2,34,14,042.70
				तटबंध के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,503.65	3,503.80	2,832.76	3,200.00	367.24	1,014.378	3,72,520.18	32,46,009.60
5	काशीपुर दुबौलिया तटबंध के कि. मी. 0.660 से 2.350 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	26/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 288.20 लाख	09/अधी. अभि./2013-14 दिनांक 24.12.2013	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,267.30	3,222.00	2,905.23	3,040.00	134.77	741.240	99,896.91	22,53,369.60
6	कटरियाँ चाँदपुर तटबंध के कि. मी. 0.390 से 2.382 तक बाढ़ सुरक्षा एवं	29/2013-14 दिनांक 20.01.2014	10/अधी. अभि./2013-14 दिनांक 24.12.	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/बिछाने का कार्य	3,304.15	3,280.20	2,905.23	3,000.00	94.77	14,257.320	13,51,166.22	4,27,71,960.00

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

	कटरिया चांदपुर का तटबंध कार्य	₹ 1160.24 लाख	2013	स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,513.35	3,513.35	2,806.23	3,400.00	593.77	2,316.350	13,75,379.14	78,75,590.00
7	गौरा सैफाबाद तटबंध के कि. मी. 3.300 से 4.700 तक चौड़ीकरण एवं कि. मी. 3.300 पर स्पर का निर्माण	30/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 591.91 लाख	11/अधी. अभि. /2013-14 दिनांक 24.12. 2013	स्पर बनाने हेतु स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,368.90	3,332.50	2,910.68	3,200.00	289.32	7,963.490	23,03,996.93	2,54,83,168.00
				स्पर के शैंक के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,574.20	3,574.20	2,954.68	3,400.00	445.32	1,216.890	5,41,905.45	41,37,426.00
8	काशीपुर दुबैलिया तटबंध के कि. मी. 1.240 एवं कि. मी. 1.780 पर स्पर का निर्माण	27/2013-14 दिनांक 20.01.2014 ₹ 574.41 लाख	13/अधी. अभि. /2013-14	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,267.30	3,233.30	2,905.23	3,040.00	134.77	1,476.580	1,98,998.69	44,88,803.20
9	काशीपुर दुबैलिया तटबंध के कि. मी. 2.300 से 2.750 तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	15/2015-16 दिनांक 29.04.2015 ₹ 1144.43 लाख	03/अधी. अभि. /2015-16 दिनांक 01.05. 2015	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,289.53	2,800.00	2,863.53	3,285.00	421.47	6,413.250	27,02,992.48	2,10,67,526.25
				स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,354.63	-	2,907.53	3,350.00	442.47	1,071.720	4,74,203.95	35,90,262.00
10	कटरियों चाँदपुर तटबंध के कि. मी. 4.400 से 5.400 तक कटाव निरोधक कार्य	50/2015-16 दिनांक 10.06.2015 ₹ 1536.70 लाख	11/अधी. अभि. /2015-16 दिनांक 10.06. 2015	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	3,974.11	3,800.00	3,478.79	3,950.00	471.21	20,783.020	97,93,166.85	8,20,92,929.00
				शैंक के स्लोप पर स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	4,242.44	4,250.00	3,558.79	4,220.00	661.21	3,909.090	25,84,729.40	1,64,96,359.80
11	चाँदपुर गौरा तटबंध के कि. मी. 0.000 से 1.000 तक कटाव निरोधक कार्य	18/2015-16 दिनांक 29.04.2015 ₹ 2442.64 लाख	12/अधी. अभि. /2015-16 दिनांक 10.06. 2015	लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर को एकत्र करना एवं हाथ से बिछाने का कार्य (बिना क्रेट)	3,974.11	3,565.00	3,478.79	3,960.00	481.21	35,541.537	1,71,02,943.02	14,07,44,486.52
				लौन्चिंग एग्रन में स्टोन बोल्डर की आपूर्ति/ वायर क्रेट में बिछाने का कार्य	4,883.11	4,750.00	4,204.79	4,870.00	665.21	1,460.320	9,71,419.47	71,11,758.40
				शैंक के स्लोप पर स्टोन की आपूर्ति/ बिछाने का कार्य	4,242.44	3,815.31	3,558.79	4,235.00	676.21	5,298.320	35,82,776.97	2,24,38,385.20
योग										4,74,20,998.89	45,36,38,169.57	
अथवा ₹										4.74 करोड़	45.36 करोड़	

परिशिष्ट 3.8

विद्युत भार को पुनरीक्षित कराने में असफल रहने के कारण परिहार्य भुगतान का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.18)

माह	दर (प्रति के.वी.ए.)	स्वीकृत भार (के.वी.ए. में)	विद्युत विल के अनुसार स्थाई प्रभार (के.वी.ए. में) (कॉलम 3*0.75)	नियत/माँग प्रभार के अनुसार भुगतानित धनराशि (कॉलम 2* कॉलम 4)	वास्तविक उपभोगित भार	माँग की गई विद्युत भार के.वी.ए.)	विद्युत भार के माँग के अनुरूप नियत प्रभार (के.वी.ए.) (कॉलम 7*0.75)	विद्युत भार के माँग के अनुरूप नियत प्रभार के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि (कॉलम 2*कॉलम 8)	स्थायी प्रभार जिसका अधिक भुगतान किया गया (के.वी.ए.) (कॉलम 4-कॉलम 8)	परिहार्य भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जून-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,800	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जुलाई-13	240	6,298	4,724	11,33,760	2,016	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अगस्त-13	240	6,298	4,724	11,33,760	2,016	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
सितम्बर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	2,100	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अक्टूबर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,443	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
नवम्बर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,500	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
दिसम्बर-13	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जनवरी-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,200	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
फरवरी-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,380	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मार्च-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,200	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अप्रैल-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,297.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मई-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,464	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जून-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,860.6	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जुलाई-14	240	6,298	4,724	11,33,760	2,100	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अगस्त-14	240	6,298	4,724	11,33,760	2,059.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
सितम्बर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	2,040	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अक्टूबर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,800	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
नवम्बर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,500	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
दिसम्बर-14	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

जनवरी-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,330.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
फरवरी-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,346.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मार्च-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अप्रैल-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,371.6	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मई-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,467.6	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जून-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,011.2	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जुलाई-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,103	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अगस्त-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,027.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
सितम्बर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,195.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
अक्टूबर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	2,257.8	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
नवम्बर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,775.4	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
दिसम्बर-15	240	6,298	4,724	11,33,760	1,408.2	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
जनवरी-16	240	6,298	4,724	11,33,760	1,260	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
फरवरी-16	240	6,298	4,724	11,33,760	1,425	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
मार्च-16	240	6,298	4,724	11,33,760	1,332	3,333	2,500	6,00,000	2,224	5,33,760
योग				3,85,47,840				2,04,00,000		1,81,47,840

परिशिष्ट 3.9

न्यूनतम दरों की निविदाओं को निरस्त कर उच्च दरों पर अनुबन्ध निष्पादित करने से हानि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.19)

क्र. सं.	गाँव का नाम	प्राक्कलित लागत (₹)	अनुबन्ध सं०	अनुबन्धित राशि (₹)	अनुबन्धित लागत (₹)	प्राक्कलित लागत के सापेक्ष अनुबन्धित लागत का प्रतिशत	भुगतानित राशि (₹)	कुल भुगतानित राशि (₹)	प्रथम निविदा की न्यूनतम राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	अंसुई	18,99,000	16/2012-13	16,25,215	16,25,215	14.42	16,13,334	16,13,334	12,49,890	3,63,444
2	अतरा	33,02,000	21/2012-13	14,42,267	27,98,988	15.23	14,42,036	27,98,283	21,67,130	6,31,153
			35/2012-13	13,56,721			13,56,247			
3	अतरैया	25,14,000	34/2012-13	12,02,696	21,65,272	13.87	12,06,185	21,65,041	16,84,126	4,80,915
			42/2012-13	9,62,576						
4	बजेहटा	24,44,000	6/2012-13	19,28,585	19,28,585	21.09	19,28,621	19,28,621	14,28,277	5,00,344
5	बान्धुर खुर्द	25,07,000	23/2012-13	8,19,147	21,46,362	14.39	8,17,397	21,43,229	16,27,532	5,15,697
			37/2012-13	13,27,215						
6	बरेहरा	39,37,000	38/2012-13	19,51,285	33,63,704	14.56	19,47,730	33,56,137	26,26,116	7,30,021
			26/2012-13	14,12,419						
7	बिलौटा	18,81,500	5/2012-13	15,56,203	15,56,203	17.29	15,55,784	15,55,784	13,55,177	2,00,607
8	धगवा	21,89,000	12/2012-13	18,60,899	18,60,899	14.99	19,33,213	19,33,213	13,84,138	5,49,075
9	गुन्देला	21,72,000	11/2012-13	18,60,755	18,60,755	14.33	18,69,335	18,69,335	11,90,470	6,78,865
10	घुरौली	23,24,000	19/2012-13	19,38,706	19,38,706	16.58	19,77,106	19,77,106	14,90,644	4,86,462
11	गुरदहा	18,31,000	04/2012-13	15,64,127	15,64,127	14.58	15,44,081	15,44,081	11,03,102	4,40,979
12	हुसैना	26,37,000	27/2012-13	8,62,971	22,46,531	14.81	8,62,683	22,46,653	17,49,912	4,96,741
			39/2012-13	13,83,560						
13	इन्दलपुरा	28,98,000	25/2012-13	11,55,839	24,94,399	13.93	11,10,174	24,41,774	19,78,005	4,63,769
			40/2012-13	13,38,560						
14	बेरी इन्द्रपुरी	21,63,000	07/2012-13	14,81,201	14,81,201	31.52	14,79,958	14,79,958	14,08,306	71,652
15	इंगोहटा	20,68,000	08/2012-13	17,03,486	17,03,486	17.63	16,54,858	16,54,858	14,01,504	2,53,354
16	जिगनी	27,75,000	22/2012-13	10,04,698	23,74,425	14.44	10,04,701	23,74,337	17,84,530	5,89,807
			36/2012-13	13,69,727						
17	कन्धौली	23,40,000	14/2012-13	19,93,284	19,93,284	14.82	19,86,107	19,86,107	12,15,222	7,70,885
18	खेड़ा शिलाजीत	20,23,000	15/2012-13	17,28,789	17,28,789	14.54	17,28,120	17,28,120	13,91,922	3,36,198
19	पतारा	19,30,000	10/2012-13	16,45,453	16,45,453	14.74	16,32,376	16,32,376	12,03,096	4,29,280
20	राजामऊ	27,41,000	18/2012-13	19,07,930	19,07,930	30.39	18,97,947	18,97,947	16,08,722	2,89,225
21	रूरीपारा	24,13,000	03/2012-13	19,97,461	19,97,461	17.22	20,05,895	20,05,895	14,69,811	5,36,084
22	सरसेन्डा	22,17,000	09/2012-13	19,01,985	19,01,985	14.21	19,01,486	19,01,486	13,32,954	5,68,532
योग										1,03,83,089
अथवा ₹ करोड़ में										1.04

परिशिष्ट 3.10

ठेकेदार को बिटुमिन के अधिक प्रयोग के लिये किये गये भुगतान का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.22)

कार्य का नाम (यूनिट = घनमीटर)		प्रकरण 1—मोहन सराय—कैण्ट मार्ग			प्रकरण 2 – अलीनगर—इन्दारा—मझवारा—मधुबन मार्ग					
					(किमी 0.00 से 12.00)			(किमी 12.00 से 23.400)		
सामग्री उत्पादन लेने पर = 195 घनमी0 (450 टन)	इकाई	मात्रा	दर	योग	मात्रा	दर	योग	मात्रा	दर	योग
मिश्रित रोड़ी के कुल भार का @ 4.50% बिटुमिन	टन	20.250	58,870.00	11,92,117.50	20.250	49,320.00	9,98,730.00	20.250	49,320.00	9,98,730.00
मिश्रण का कुल भार = 450 टन										
बिटुमिन का भार = 20.25 टन										
रोड़ी का भार = 450 - 20.25 = 429.75 टन										
रोड़ी का घनत्व लेने पर = 1.5 टन/घनमीटर										
रोड़ी का आयतन = 286.50 घनमी0										
ग्रेडिंग - II 19 एम0एम0 (नामिनल आकार)										
25 - 10 मि0मी0: 30 प्रतिशत	घनमी	280.77	1,345.00	3,77,635.65	286.50	1,772.50	5,07,821.25	286.50	1,793.00	5,13,694.50
10 - 5 मि0मी0: 28 प्रतिशत	घनमी									
5 मि0मी0 और कम: 40 प्रतिशत	घनमी									
रोड़ी के भार का फिलर @ 2 प्रतिशत	टन	5.73	985.00	5,644.05						
				15,75,397.20			15,06,551.25			15,12,424.50
दर प्रति घनमीटर = योग/195 (ग्रेडिंग-II के लिए) सामग्री				8,078.95			7,725.90			7,756.02
मिश्रित रोड़ी के कुल भार का @ 4.00% बिटुमिन	टन	18.00	58,870.00	10,59,660.00	18.00	49,320.00	8,87,760.00	18.00	49,320.00	8,87,760.00
मिश्रण का कुल भार = 450 टन										
बिटुमिन का भार = 18.00 टन										
ग्रेडिंग - I 40 मि0मी0 (नामिनल आकार)										
37.5 - 25 मि0मी0: 22 प्रतिशत	घनमी	282.24	1,345.00	3,79,612.80	288.00	1,772.50	5,10,480.00	288.00	1,793.00	5,16,384.00
25 - 10 मि0मी0: 13 प्रतिशत	घनमी									
10 - 4.75 मि0मी0: 19 प्रतिशत	घनमी									
4.75 मि0मी0 और कम: 44 प्रतिशत	घनमी									
रोड़ी के भार का फिलर @ 2 प्रतिशत	टन	5.76	985.00	5,673.60						
				14,44,946.40			13,98,240.00			14,04,144.00
दर प्रति घनमीटर = योग/195 (ग्रेडिंग-I के लिए) सामग्री				7,409.98			7,170.46			7,200.74

लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रति घनमीटर की दर में अन्तर	₹ 8,078.95 – ₹ 7,409.98 = ₹ 668.97 प्रति घनमी	₹ 7,725.90 – ₹ 7,170.46 = ₹ 555.44 प्रति घनमी	₹ 7,756.02 – ₹ 7,200.74 = ₹ 555.28 प्रति घनमी
कुल सम्पादित डी0बी0एम0 कार्य	19135.67 घनमी X ₹ 668.97 प्रति घनमी = 1,28,01,189.15	6142.50 घनमी X ₹ 555.44 प्रति घनमी = ₹ 34,11,790.20	5769.10 घनमी X ₹ 555.28 प्रति घनमी = ₹ 32,03,465.85
10 प्रतिशत ओवरहेड की दर लागू करने पर	12,80,118.915	3,41,179.02	3,20,346.59
कुल योग (₹)	14081308.065	37,52,969.22	35,23,812.44
10 प्रतिशत कन्ट्रेक्टर की दर लागू करने पर	14,08,130.806	3,75,296.92	3,52,381.24
डी0बी0एम0 के कार्यान्वित कार्य पर कुल अधिक देय धनराशि (₹)	1,54,89,438.87	41,28,266.14	38,76,193.68
	₹ 1.55 करोड़		0.80 करोड़

परिशिष्ट 3.11

एरच-गुरसहाय-मऊरानीपुर मार्ग (एम0डी0आर0-31),
किमी 01.00 से किमी0 71(180) (कुल 71.00किमी) के चौड़ीकरण
एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए अधिक जी0एस0बी0 की गणना का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.24)

क्र. सं.	मार्ग की लम्बाई	मार्ग की लम्बाई मीटर में	वर्तमान चौड़ाई	चौड़ीकरण वाले भाग में जी0एस0बी0 बिछाने के लिये आवश्यक चौड़ाई (7.3-D)	चौड़ीकरण वाले भाग में जी0एस0बी0 बिछाने के लिये आवश्यक क्रस्ट की मोटाई	जी0एस0बी0 की आवश्यक मात्रा	जी0एस0बी0 की अधिक मात्रा = (14-7.3)* मार्ग की लम्बाई *0.15	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	
1	किमी01 से 3 और 9	4,000	5.5	1.8	0.25	1800	4020	
2	किमी0 4 से 8 और किमी0 10 से 20	15,200	3.7	3.6	0.25	13680	15276	
3	किमी0 21 से 27 =7 किमी0, किमी0 31 से 52= 22 किमी0, किमी0 54 से 56= 3 किमी0, किमी0 59 से 62 = 4 किमी0, किमी0 64 से 66= 3 किमी0, किमी0 67 (500)= 0.50 किमी0, किमी0 68(500)=0.50 किमी0	40,000	3.7	3.6	0.29	41760	40200	
4	किमी0 29(280)=0.28 किमी0, किमी0 30 =1.00 किमी0, किमी0 69,70,71(180)=2.18 किमी0	3,460	5.7	1.6	0.29	1605.44	3477.3	
5	किमी0 58 =1.00 किमी0	1,000	6.5	0.8	0.29	232	1005	
6	किमी0 53 = 1.00 किमी0, किमी0 57=1.00 किमी0, किमी0 63 = 1.00 किमी0 किमी0 67 (500) = 0.50 किमी0, किमी0 68(500)= 0.50 किमी0	4,000	7	0	0	0	4200	
7	किमी0 28= 1.00 किमी0, किमी0 29(720)= 0.72 किमी0	1,720	10			0	0	
						59,077.44	68178.3	
	7.00 मीटर में मार्ग को चौड़ीकरण के लिये जी0एस0बी0 की आवश्यक मात्रा						59,077.44	
	7.00 मीटर में मार्ग को चौड़ीकरण के लिये जी0एस0बी0 की अधिक मात्रा						68,178.30	
	योग						1,27,255.70	
	आगणन के अनुसार 7.00 मीटर चौड़ीकरण के लिये जी0एस0बी0 की आवश्यक मात्रा						37,049	
	आगणन के अनुसार 7.00 मीटर में मार्ग को चौड़ीकरण के लिये जी0एस0बी0 की आवश्यक मात्रा						90,225	
	योग						1,27,274	
क्र. सं.	खण्ड का नाम	अधिक मात्रा (क्यूबिक मीटर)	दर (क्यूबिक मीटर)	योग	अनुबन्ध के अनुसार अधिक दर को सम्मिलित करते हुए	विभागीय दर से कम/अधिक % पर अनुबन्ध का गठन		
1	अ0अ0, नि0ख0-III, लो0नि0वि0, झांसी	19,296	1,650	3,18,38,400	3,54,20,220	टेण्डर दर से 11.25 % अधिक पर		
2	अ0अ0, प्र0ख0, लो0नि0वि0, झांसी	48,882.3	1,647	8,05,09,148	9,17,80,429	टेण्डर दर से 14.00 % अधिक पर		
	योग	68,178.3			12,72,00,649			
					अथवा ₹ 12.72 करोड़			

परिशिष्ट 3.12

बिटुमिनस मैकेडम के समतुल्य में दोनों चैनेजों की आवश्यकता के सापेक्ष ओवरले का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.25)

मार्ग की लम्बाई	अधिकतम डिफ्लेक्शन	स्टेन्डर्ड डेविएशन आरटेरियल मार्ग के लिए दुगुना	एमएस0एम0	आई0आर0सी0-81 के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन	रिपोर्ट के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन	रिपोर्ट में संस्तुत ओवरले	आई0आर0सी0 के अनुसार आवश्यक ओवरले
6.300 किमी0	2.6820	$0.1770 \times 2 = 0.3540$	5	$(2.682 + 0.3540) = 3.0360$ अथवा 3.0	4.2	220	190 (83.33 मि0मी0 डब्ल्यू0एम0एम0 + 71.43 मि0मी0 डी0बी0एम0 + 35.71 मि0मी0 एस0डी0बी0सी0)
11.200 किमी0	2.6820	$0.1887 \times 2 = 0.3774$	5	$(2.682 + 0.3540) = 3.0594$ अथवा 3.0	4.8	240	190 (83.33 मि0मी0 डब्ल्यू0एम0एम0 + 71.43 मि0मी0 डी0बी0एम0 + 35.71 मि0मी0 एस0डी0बी0सी0)

ओवरले की मोटाई आई0आर0सी0-81-1997 के प्रस्तर 7.4 के अनुसार ली गयी है।

परिशिष्ट 3.13

उच्च विशिष्टियों के अपनाने एवं कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन के त्रुटिपूर्ण आगणन का विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 3.25)

विवरण	लम्बाई (मीटर में) (i)	चौड़ाई (मीटर में) (ii)	विस्तृत आगणन में प्राविधान के अनुसार		आई0आर0सी0 के प्राविधानों के अनुसार	
			गहराई (मीटर में) (iii)	मात्रा (घन मीटर में) (i)x(ii)x(iii)	गहराई (मीटर में) (iv)	मात्रा (घन मीटर में) (i)x(ii)x(iv)
6.300 किमी0 के लिये डब्ल्यू0एम0एम0	6,300	7.00	0.175	7,717.50	0.125 (83.33 मि0मी0 बी0एम0 के संदर्भ में)	5,512.50 (6,300x7.00x0.125)
11.200 किमी0 के लिये डब्ल्यू0एम0एम0	11,200	7.00	0.200	15,680.00	0.125 (83.33 मि0मी0 बी0एम0 के संदर्भ में)	9,800.00 (11,200x7.00x0.125)
योग				24,255.88		16,170.88
डब्ल्यू0एम0एम0 का अधिक प्राविधान = 8,085 घनमीटर मे (24,255.88 घनमीटर - 16,170.88 घनमीटर)						
डब्ल्यू0एम0एम0 का अधिक प्राविधान की लागत = $8,085.00 \text{ मी}^3 \times ₹ 3242.00 = ₹ 2,62,11,570.00$						
कुल प्रीमियम की धनराशि पर 0.01 प्रतिशत कम करने पर = ₹ 2,62,08,948.84 (₹ 2,62,11,570.00 - ₹ 2,621.16)						